नायिका
अपने जीवन की

सितम्बर 2022

अंक - 3

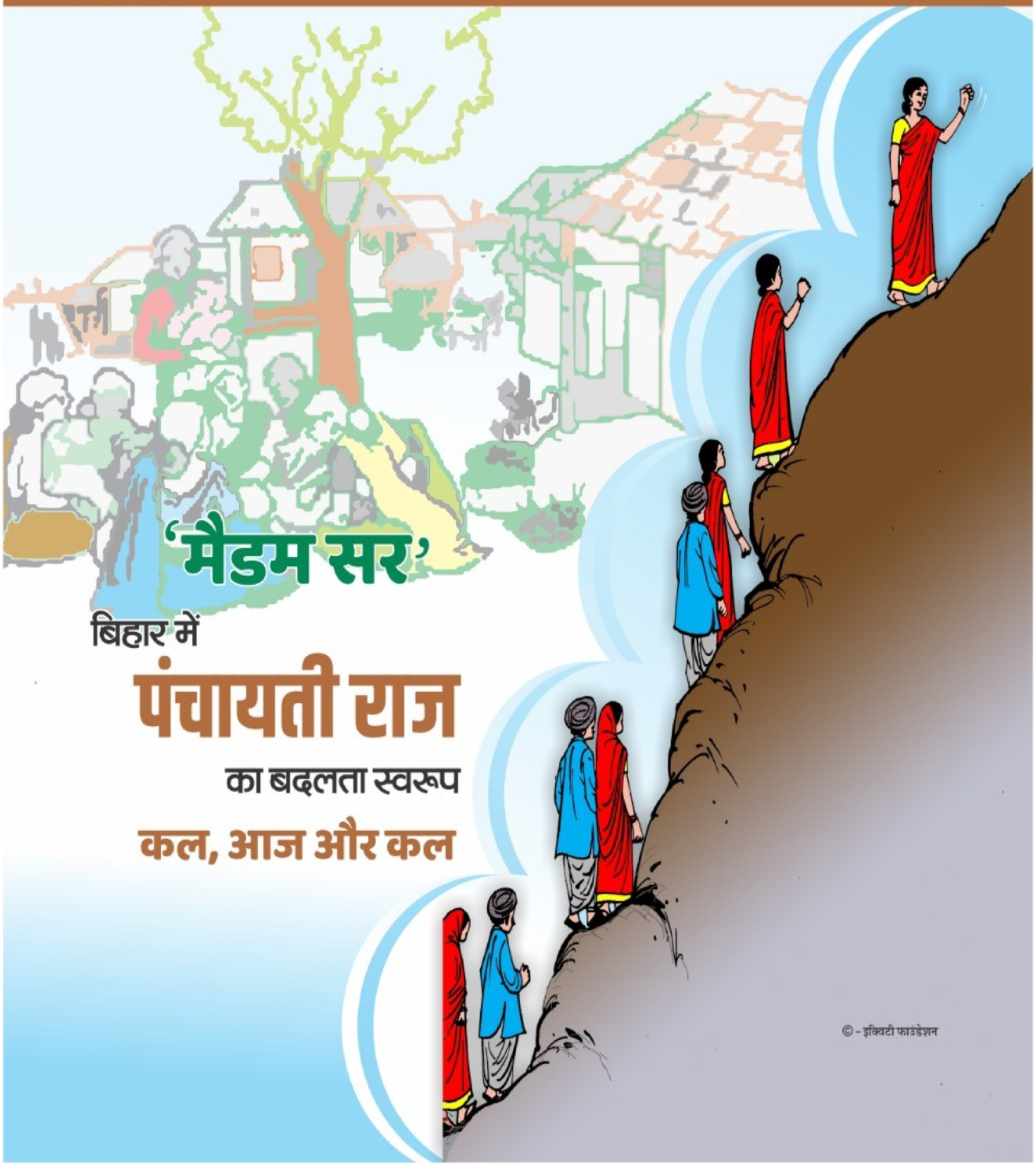

'मैडम सर'

बिहार में

पंचायती राज

का बदलता स्वरूप

कल, आज और कल

© - इक्विटी फाउंडेशन

बिहार सरकार

समान अधिकार

समान जिम्मेवारी

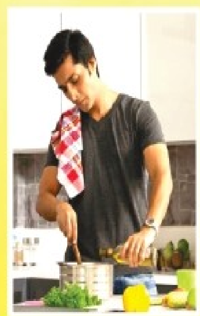

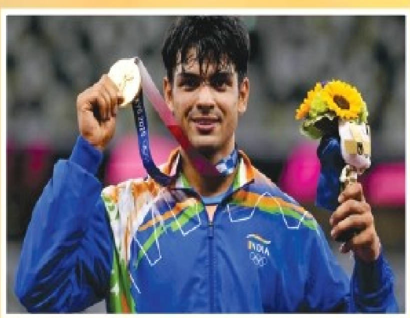

समान उपलब्धि

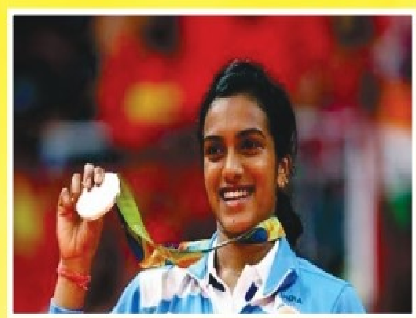

आइये ऐसे समाज का निर्माण करें जो लड़का और लड़की में भेद–भाव न करें और दोनों को समान अवसर और सुविधा दें।

महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार द्वारा जनहित में जारी

संकल्पना

नायिका यानि नाटक की प्रमुख महिला पात्र। इस पात्र पर नाटक के सफल मंचन की ज़िम्मेदारी होती है और नाटक की सफलता का श्रेय भी उसे ही मिलता है। महिलायें भी अक्सर नायिका के रूप में अपने परिवार की भलाई, भरण पोषण और देखभाल की ज़िम्मेवारी बखूबी निभाती है चाहे इसके लिए उसे कितने भी संघर्षो का सामना क्यों न करना पड़े। फर्क बस इतना है की असल ज़िन्दगी में सफलता का श्रेय किसी और को मिलता है और वह परदे के पीछे ही रह जाती है। इसका प्रमुख कारण हमारे समाज की पितृसत्ता आधारित मानसिकता है जो महिलाओं को आगे बढ़कर श्रेय लेने से रोकती है। बचपन से ही लड़का–लड़की की परवरिश और लालन–पालन में भेद कर, लड़कियों को घर के बाहर निकलने पर, पढ़ने पर, नौकरी करने पर पाबन्दी लगा दी जाती है। कभी परिवार की मर्यादा के नाम पर, तो कभी समाज का भय दिखाकर, तो कभी उसे पुरुषों से कमजोर बताकर। पहले पिता और भाई, फिर पति और अंत में बेटे के अधीन बनाकर उसकी इच्छाओं– सपनों और अधिकारों को कुचल दिया जाता है।

गर्डा लर्नर पितृसत्ता को परिभाषित करते हुए कहती हैं कि ''पितृसत्ता, परिवार में महिलाओं और बच्चों पर पुरुषों के वर्चस्व की अभिव्यक्ति है।'' इसका अर्थ यह नहीं है कि 'महिलाएं या तो पूरी तरह शक्तिहीन हैं या पूरी तरह अधिकारों, प्रभाव और संसाधनों से वंचित हैं।' इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हर पुरुष हमेशा वर्चस्व की और हर महिला हमेशा अधीनता की स्थिति में ही रहती है। बल्कि जरूरी बात यह है कि इसके तहत यह विचारधारा प्रभावी रहती है कि पुरुष स्त्रियों से अधिक श्रेष्ठ हैं और महिलाओं पर उनका नियंत्रण होना चाहिए। पुरुष महिलाओं को अपनी संपत्ति के रूप में देखता है और जो महिलाएं इस व्यवस्था का अनुकरण करती है उन्हें कुछ सुविधाओ के साथ मान–सम्मान तमगों से भी नवाजा जाता है। किन्तु जो महिलाएं पितृसत्ता के कायदे–कानूनों व तौर–तरीकों को अपना सहयोग या सहमति नहीं देती हैं, उन्हें पथभ्रष्ट करार दे दिया जाता है।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाये गए हैं जिसका उद्देश्य वैसी सामा. जिक संरचनाओं को समाप्त करना है जो लड़का–लड़की में भेदभाव करती है और लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकती है। बाल विवाह, दहेज़ भी ऐसी ही संरचनाएं है जो मानती हैं कि लड़कियों की शादी करने के अलावा, कोई अन्य विकल्प नहीं है। वे शादी की तैयारी के लिए घर के काम–काज़ करें और घरेलू जिम्मेदारियाँ उठाएँ। परन्तु प्रमाण बताते हैं किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए, यह अत्यंत महत्त्वूपर्ण है कि उनका विवाह कानूनी उम्र के बाद हो, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार हो, उन्हें सेकेण्डरी स्कूल जाने में सहायता मिले और उनके कौशलों का विकास हो जिससे वे अपनी आर्थिक योग्यता को साकार कर सकें और वह स्वस्थ, उत्पादक और सशक्त वयस्कों में परिवर्तित हो सकें।

आज जहाँ एक तरफ जरूरत है समाज को, खासकर पुरषों को अपनी पुरानी सोच बदल कर महिलाओं को बराबर मानने और वैसा ही व्यवहार करने की तो दूसरी तरफ महिलाओं को भी नायिका बन अपने जीवन की कमान अपने हाथ में लेने की आवश्यकता है।

इल्म हुनर में...दिल दिमाग में
किसी बात में कम तो नहीं, पुरुषों वाले...
सारे ही अधिकारों की अधिकारी है,
कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है
जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है...
बहुत हो चुका...अब मत सहना
तुझे भविष्य को गढ़ना है
नारी को कोई कह ना पाए... अबला है, बेचारी है
कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है
जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है।

नायिका
अपने जीवन की

अंक 3 वर्ष 2022

महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा
प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका

प्रधान संपादक

श्रीमती हरजोत कौर बम्हरा

संरक्षक

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव
श्री राजीव वर्मा

संपादकीय टीम

अविनाश उज्ज्वल
महालक्ष्मी कुमारी
सुमित सौरभ

संकलन, संपादन, शोध एवं डिजाइन
इक्विटी फाउंडेशन
पटना

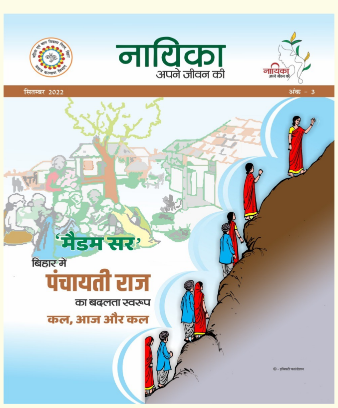

मेरी कलम से...

राज्य की आधी आबादी, जिन पर देश की उन्नति का आधा दारोमदार है, जो कल तक गृहणी थी घर संभालती थी, आज पंचायत के विकास की चुनौतियों को स्वीकार पंचायत चुनाव में चुन के आई हैं। बिहार सरकार के पंचायती राज्य में 50 प्रतिशत ऐतिहासिक आरक्षण का प्रतिफल ही है कि महिलायें आज घर के साथ–साथ पंचायत के विकास का काम कर रही हैं। जो महिलायें कल तक मूकदर्शक थीं, आज निर्णय लेने की भूमिका में हैं। 2011 की जनगणना में हमारे बिहार राज्य में महिला जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सा लगभग 47.85 प्रतिशत है और 2021 पंचायत चुनाव में 58 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि चुनाव जीत के आई हैं। गर्व की बात है कि हमारे राज्य में पंचायती राज के कुछ महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं का 76 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है।

ऐसे तो महिलाओं को सशक्त एवं सक्रिय बनाने के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधनों के माध्यम से महिलाओं को 33 प्रतिशत स्थान आरक्षण के रूप में स्थानीय स्वशासन में भाग लेने के लिए दिया गया है। लेकिन सामाजिक और व्यावहारिक उपेक्षाओं के कारण महिलाओं की मौलिक समानता के भाव आहत होते रहे हैं। महिलाओं को कमजोर रूप में देखा जाता है। परन्तु महिलाओं की यह स्थिति हमेशा से ऐसी नहीं रही है। कभी पुरुषों को भी रेणुकानंदन, देवकीनंदन, कौन्तेय, राधेय, सौमित्र और गौरीनंदन के नाम से पहचान मिली है। भारत में अनादि काल से महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ सह–अस्तित्व में रही हैं। लेकिन कुछ ऐतिहासिक कारणों से महिलाओं की स्थिति बदतर होती गई। परन्तु महिलाओं की भागीदारी के बिना देश का समग्र विकास नहीं हो सकता। हालांकि आज हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। आज महिलायें घर की ड्योढ़ी लांघकर अलग–अलग क्षेत्र जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शिक्षा तथा विज्ञान में अपनी सेवाएं दे रही हैं। वे अपनी पेशेवर जिंदगी के साथ–साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रही हैं। लेकिन महिलाओं की इतनी दशा सुधरने के बाद भी हमें कहीं न कहीं उनके मानसिक तथा शारीरिक उत्पीड़न से जुडी ख़बरें सुनने को मिल जाती हैं। जिसे सुनकर मन व्यथित हो जाता है। यह परिवार की भी जबाबदेही है कि वो अपनी बेटियों को समाज की कुरीतियों से लड़ना सिखायें और उन्हें सशक्त बनायें। उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास तब पूरा

होगा जब समाज की हर एक महिला शिक्षित होगी, अपने हक/न्याय के विषय में पूर्ण जानकारी रखेंगी, लड़ने की हिम्मत रखेंगी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी।

महिलायें अधिक शिक्षित और कार्यशील होंगी तो देश की आय में बढ़ोत्तरी होगी और देश में नैतिक मूल्यों का विकास होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार, यदि भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलायें भी पुरुषों के स्तर पर समान रूप से भाग लेती है तो वर्ष 2025 तक देश की अनुमानित GDP में 60 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। देश की आधी आबादी होने के कारण देश की उन्नति और विकास महिलाओं की उन्नति और विकास पर निर्भर करता है। भारतीय इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जिसमें महिलाओं ने नेतृत्व किया है और राष्ट्र को सही मार्ग प्रदान किया है। घर और बाहर दोनों जगह सामंजस्य बनाकर समाज को आगे ले जाने में अमूल्य योगदान दिया है। एक कवयित्री ने महिलाओं के लिए लिखा है–

जितना घिसती हूं , उतना निखरती हूँ
परमेश्वर ने बनाया है मुझको कुछ अलग ही मिट्टी से
जैसा सांचा मिलता है उसी में ढल जाती हूँ
कभी मोम बनकर मैं पिघलती हूं
तो कभी दिए की जोत बनकर जलती हूँ
कर देती हूं रोशन
उन राहों को, जो जिद में रहती हैं
खुद को अंधकार में रखने की।

महिलाओं को आज पितृसतात्मक मानसिकता से बाहर आकर गाँव, पंचायतों, जिलों, राज्य एवं राष्ट्र में एक टिकाऊ विकास में अपना योगदान देने की आवश्यकता है। साथ ही समाज को भी रुढ़िवादी विचारों से बाहर आने की जरूरत है। समाज की सकारात्मक सोच महिलाओं के उत्थान और एक नये दृष्टिकोण से भरे उन्नत राष्ट्र का निर्माण करने में मदद करेगी।

हरजोत कौर बम्हरा
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक,
महिला एवं बाल विकास निगम
बिहार

इस अंक में

लड़कियों और महिलाओं की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है बिहार सरकार– 32

समाज सुधार और जनजागृति के लिए सरकार प्रतिबद्ध– 34

सचिवालय में बना मॉडल पालनाघर– 35

अनुक्रमणिका

ग्राम पंचायत के साथ ग्राम कचहरी को जोड़ बिहार ने बनाई सुदृढ़ पंचायती राज व्यवस्था......................................	1
कार्य और उनके प्रतिबिंब	3
नया दौर, नए इरादे..	13
संख्या ही नहीं, सहभागिता भी बढ़ी............................	16
आंकड़ों की नजर में...	18
शराब और घरेलू हिंसा के खिलाफ उठाई आवाज.........	19
स्वच्छता की अग्रदूत बनीं महिला प्रतिनिधि......................	20
सशक्त नेतृत्व की ओर बढ़ रहे कदम...............................	22
50% महिला आरक्षणः पहचान से सम्मान तक...............	25
पंचायतों में महिलाएं सीमाएं और संभावनाएं....................	27
सशक्त पंचायत, समर्थ बिहार..	29
सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम दे रहे संबल.................	30
कारवां जो चल पड़ा, अब न रोका जाएगा....................	31
निगम की पहल– उड़ान आर्ट एवं क्राफ्ट शॉप आरंभ	36

ग्राम पंचायत के साथ ग्राम कचहरी को जोड़ बिहार ने बनाई सुदृढ़ पंचायती राज व्यवस्था

जानते हैं पंचायती राज और उसकी शक्तियों को

महिलाओं के सशक्तिकरण में पंचायतों की भूमिका तीन रूपों में हो सकती है। लक्षित वर्ग के रूप में, वंचित वर्ग के रूप में और मानवीय रूप में। लक्षित वर्ग के रूप में पंचायतें विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में महिलाओं को प्राथमिकता देकर उन्हें सशक्त बना सकती हैं। साथ ही योजनाओं के निर्माण और भूमिकाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाकर महिलाओं को निर्णय लेने की मुख्यधारा में शामिल कर सकती हैं। वे औरतों को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रहीं विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों में सहभागी बना सकती हैं। स्वयं सहायता समूह इत्यादि से जोड़कर उन्हें बचत के प्रति संवेदनशील बना सकती हैं और उनके भीतर छिपी महिला उद्यमी की भावना को मुखर बना सकती हैं।

एक वंचित वर्ग के रूप में पंचायतें शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन के अवसरों के प्रति जागरूक बनाकर और विभिन्न समूहों से महिलाओं को जोड़कर उन्हें सशक्त बना सकती हैं। इसी तरह मानवीय रूप से पंचायतें महिलाओं को समान अवसर, सम्मान और उनके कामों को मान्यता देकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं।

बिहार पंचायती राज अधिनियम, 1993

73वें संविधान संशोधन के बाद पूर्व के पंचायत राज अधिनियमों को निरस्त करते हुए बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 बनाया गया। इसमें 73वें संविधान के सारे प्रावधान शामिल किये गये। इन प्रावधानों के अलावे, इस अधिनियम में नगर कचहरी की अवधारणा को शामिल किया गया। साथ ही आरक्षण में महिलाओं एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को तो आरक्षण दिया गया, साथ–साथ अति पिछड़े वर्गों की जातियों के लिए भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया।

इसके विरोध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष कई रिट याचिकाएं दायर की गईं। इन याचिकाओं का निस्तारण करते हुए माननीय पटना उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने मुख्य रूप से कुल आरक्षण का पचास प्रतिशत से अधिक नहीं करने तथा मुखिया सरपंच, प्रमुख और अध्यक्ष का पद एकल मानकर इसके आरक्षण पर रोक लगा दी। इसके साथ ही ग्राम कचहरी के प्रावधान को असंवैधानिक बताते हुए सरपंच एवं पंच के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था कराने पर भी बल दिया। माननीय पटना उच्च न्यायालय के इस आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने विवादित बिन्दुओं को छोड़कर राज्य निर्वाचन आयोग से 2001 में पंचायत चुनाव कराने का अनुरोध किया। इस चुनाव में लगभग 1,37,000 पंचायत प्रतिनिधि निर्वाचित हुए। बाद में श्री नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं को सभी स्तरों पर 50 फीसदी आरक्षण, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को सभी स्तरों पर अधिकतम 20 प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान किया। इसके लिए पुराने अधिनियम को निरस्त करते हुए बिहार पंचायत राज अध्यादेश 2006 बना, जिसे बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 के रूप में लागू किया गया।

चुने जाने वाले मुख्य पद और उनका काम

1. मुखियाः ग्राम पंचायत का मुख्य प्रतिनिधि होता है। मुखिया ही प्रधान कार्यकर्ता है जिस पर ग्राम–सभा, ग्राम पंचायत सदस्यों एवं स्थायी समीतियों का नियन्त्रण होता है।
2. वार्ड सदस्यः ग्राम पंचायत को कई वार्डों में बांटा गया है, हर वार्ड से एक मेंबर चुना जाता है, जिसे वार्ड मेंबर या वार्ड सदस्य कहते हैं। मुखिया तक वार्ड की समस्या पहुंचाना इनका काम है।
3. पंचायत समिति सदस्यः पंचायत समिति एक मध्यवर्ती स्तर की पंचायत है, जो ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद के बीच की कड़ी के रूप में स्थित है।
4. जिला परिषद सदस्यः जिला परिषद पंचायती राज की जिलास्तरीय संस्था है। एक ओर पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों की श्रेष्ठ संस्था के रूप में कार्य करती है, तथा दूसरी ओर केंद्र तथा राज्य सरकारों के लिए सम्पर्क संस्था की भूमिका निभाती है।
5. सरपंचः ग्राम कचहरी की स्थापना का प्रावधान बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1947 में ही किया गया जिसे 1948 में लागू किया

चित्रः इक्विटी फाउंडेशन

गया। पूरे देश में ग्राम पंचायत के साथ ग्राम कचहरी को जोड़कर पंचायती राज व्यवस्था को खड़ा करने का काम केवल बिहार में ही किया गया। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी की स्थापना की गई है।

6. पंचः जिस तरह से मुखिया के नीचे वार्ड मेंबर होते हैं, उसी तरह हर वार्ड में पंच भी चुने जाते हैं जो सरपंच के साथ मिलकर न्याय की बागडोर संभालते हैं।

मुखिया जी को मिली शक्तियां

बिहार में मुखिया जी को पंचायती राज व्यवस्था में कई शक्तियां मिली हैं। इनके खास पावर कुछ इस तरह से हैं–

- ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकें आयोजित करना और उनकी अध्यक्षता करना।
- बैठकों का कार्य संभालना और उनमें अनुशासन कायम रखना
- एक कैलेंडर वर्ष में ग्राम सभा की कम–से–कम चार बैठकें आयोजित करना
- पूंजी कोष पर विशेष नजर रखना
- ग्राम पंचायत के कार्यकारी प्रशासन की देख–रेख
- ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों को दिशा–निर्देश देना
- ग्राम पंचायत की कार्ययोजनाओं/ प्रस्तावों को लागू करना
- नियमानुसार रखी गई विभिन्न रजिस्टरों के रख–रखाव का इंतजाम करना
- ग्राम पंचायत के तय किए टैक्सों, चंदों और फीसों की वसूली का इंतजाम
- विभिन्न निर्माण कार्यों को कार्यान्वित करने का इंतजाम करना राज्य सरकार या एक्ट अथवा किसी अन्य कानून के अनुसार सौंपी गई अन्य जिम्मेदारियों और कार्यों को पूरा करना

सरपंच की शक्तियां

सरपंच को पंचायती राज व्यवस्था के तहत तीन बड़े अधिकार दिए गए हैं। सरपंच को ग्रामसभा तथा ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और अध्यक्षता करने का अधिकार मिला हुआ है। इसके अलावा ग्राम पंचायत की कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां भी सरपंच के पास होती हैं। वहीं ग्राम पंचायत के अधीन कर्मचारियों के कार्यों पर भी प्रशासकीय देखरेख और नियन्त्रण रखने की शक्ति सरपंच के पास है।

सरपंच की जिम्मेदारी

अगर ताकत मिलती है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी दी जाती है। जाहिर है कि सरपंच को शक्तियों के साथ जिम्मेदारी भी मिली है। इन जिम्मेदारियों में ये बातें शामिल हैं–

- गांव में सड़कों का रखरखाव
- पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना
- सिंचाई के साधन की व्यवस्था
- दाह संस्कार व कब्रिस्तान का रखरखाव करना
- प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना
- खेल का मैदान और खेल को बढ़ावा देना
- स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाना
- गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था

साभारः JASRAE/https://navbharattimes.indiatimes.com

कार्य और उनके प्रतिबिंब

बिहार में 2010 के विधानसभा चुनावों के बाद से महिला मतदाताओं की संख्या में जो बढ़ोतरी देखी गई है, वह अभूतपूर्व है। साल 2010 में अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाली महिलाओं की संख्या 54.49 प्रतिशत थी जो उसी साल मतदान करने वाले पुरुषों की संख्या 51.12 प्रतिशत से कहीं अधिक थी। जबकि 2010 से पहले स्थिति ठीक उलट थी। एनएफएचएस 2015–16 के आंकड़ों के मुताबिक, बिहार में करीब 50 प्रतिशत महिलाएं निरक्षर हैं, फिर ऐसा क्या हुआ जिसने यहां की इन अशिक्षित औरतों को भी अपने मताधिकारों के प्रति जागरूक बना दिया। जाहिर तौर पर इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही है, और वह है बिहार सरकार द्वारा पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की नीति को अपनाना और उसे पूर्णरूपेण लागू करना।

संविधान में 73वें संशोधन के साथ ही 1993 में महिला आरक्षण विधेयक को क्रियान्वित किया गया। जहां कई राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण को 33 प्रतिशत तक सीमित रखा, वहीं बिहार ने 2006 में इसे 50 प्रतिशत कर दिया। बाद में 19 अन्य राज्यों ने भी बिहार का अनुसरण करते हुए अपने यहां औरतों को पंचायतों एवं स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया।

राज्य की ग्राम पंचायतों में महिलाओं को इस स्तर तक मिले आरक्षण ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बिहार जेंडर रिपोर्ट कार्ड, 2019 के अनुसार, यहां 70,400 (52 प्रतिशत) महिलाएं निर्णय लेने के पद पर हैं। आरक्षण की ताकत मिलने से ग्रामीण बिहार की औरतों में आत्मविश्वास जगा है और अब वे बड़ी संख्या में पंचायत के विभिन्न पदों पर नजर आने लगी हैं। 2021 में हुए पंचायत चुनावों के नतीजे इसका प्रमाण हैं। इस चुनाव में मुखिया का पद जीतकर आने वाले 80 प्रतिशत उम्मीदवार नए हैं और केवल 20 प्रतिशत मुखिया ही अपनी सीट बचा पाए। इनमें भी कम उम्र की और पढ़ी–लिखी महिलाओं की संख्या अधिकाधिक है। इन नई पीढ़ी की मुखियाओं को सामने लाने में सेहत की बात और शराब का विरोध मुख्य तत्व रहे।

अनामिका देवी (मुखिया) : पटना के छापोर पंचायत की 40 साल की अनामिका देवी एक स्वतंत्र मुखिया हैं। वो बताती हैं, ''मुखिया का चुनाव जीतने के बाद भी लोग मुझे तवज्जो नहीं देते थे। वे न तो मीटिंग में मेरी राय जानना चाहते थे और न ही मुझे किसी महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी देते थे। उन्हें लगता था कि मैं इसके काबिल नहीं हूं और केवल आरक्षण के कारण चुनाव जीतकर आई हूं। लेकिन धीरे–धीरे वो मेरी बात सुनने लगे क्योंकि गांव में काम होने लगा था। उन्हें विश्वास हुआ कि मेरे मुखिया होने से काम जल्दी पूरे होने लगे थे। अब गांव के प्रभावशाली लोग भी मेरी बात सुनते हैं, मुझे सम्मान देते हैं।''

अनामिका देवी सिर्फ एक उदाहरण हैं। आज बिहार में ऐसी सैकड़ों पंचायत प्रतिनिधि हैं जिनकी कहानी अनामिका देवी के जैसी ही है। जो पहले हाशिये पर भी नहीं थीं, आज केन्द्र में हैं। भले ही हमारा समाज आज भी पुरुष प्रधान कहलाता है, लेकिन बिहार में महिलाओं ने ये साबित कर दिया है कि वे भी उतनी ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली हैं, जितने कि समाज के पुरुष। 2015 के चुनावों में 80 प्रतिशत से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से कहीं अधिक रही, और वे उम्मीदवारों को जिताने में सबसे शक्तिशाली कारक रहीं। इतना ही नहीं, 2015 के विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दलों ने जितनी महिलाओं को चुनाव में खड़ा किया था उनमें से 90 प्रतिशत ने जीत हासिल की। यह आंकड़ा साफ तौर पर बताता है कि महिलाएं राजनीति में

अपनी जगह बनाने में कामयाब रही हैं और उसकी नींव स्थानीय निकायों तथा ग्राम पंचायतों से ही मजबूत हुई है।

रिसर्च बताते हैं कि जिन गांवों में पदों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था, वहां सार्वजनिक सुविधाओं को अन्य पंचायतों की तुलना में ज्यादा बेहतर ढंग से पहुंचाया जा सका। पीने का पानी उपलब्ध कराया गया, स्वास्थ्य केन्द्रों, जनवितरण प्रणाली और विद्यालयों को सुगठित किया गया।

लीला देवी (मुखिया): पटना के मसौढ़ी प्रखंड की मुखिया रहीं 40 साल की लीला देवी कहती हैं, ''हमारे घरों में नल का पानी नहीं पहुंचता था। हमने कई बार इसके लिए आवेदन किया लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। फिर मुझे अहसास हुआ कि जो चीज मेरी ही है, उसके लिए मैं गुहार क्यों लगाऊं। और मैंने खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया। मैं वार्ड सदस्य के तौर पर चुनी गई और जो सबसे पहला काम मैंने किया वह था वार्ड के हर घर में नल का पानी पहुंचाने के लिए आवंटित धन का इस्तेमाल किया।''

2015 में एक संस्था द्वारा कराए गए अध्ययन के मुताबिक, महिला नेता स्थानीय समस्याओं और मूलभूत सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान देती हैं। ज्यादातर पंचायत सदस्यों और महिला मुखिया ने स्वास्थ्य उप केंन्द्रों में अनिवार्य सुविधाओं और सेवाओं को मुहैया कराने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। बिहार में 2006 से लेकर 2021 तक के पंचायत चुनावों में चुनकर आई महिला प्रतिनिधियों के काम और उनके आत्मविश्वास में किस हद तक परिवर्तन आया है, उसकी गवाही अब आंकड़े भी दे रहे हैं। एक संस्था सी3 द्वारा कराए गए अध्ययन के मुताबिक, महिला प्रतिनिधियों द्वारा बैठकों में अपनी बात को रखने और समस्याओं को उठाने में 41 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। महिला प्रतिनिधियों ने पंचायत समिति और बैठकों में भागीदारी को लेकर पहले से अधिक जागरूकता दर्ज की है। पंचायत स्तर पर कार्यक्रमों में भागीदारी की दर 16 प्रतिशत से कहीं अधिक बढ़कर अब 71 प्रतिशत हो गयी है। 88 प्रतिशत महिलाएं ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण कमिटी के बारे में जानती हैं, 72 प्रतिशत शिक्षा समिति के बारे में जागरूक हैं और 54 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि सार्वजनिक कार्यों के बारे में जानती हैं। इससे पहले ये सभी दर क्रमशः 56 प्रतिशत, 69 प्रतिशत और 13 प्रतिशत थी। महिला पंचायत प्रतिनिधियों के चुने जाने से लेकर उनमें जागरूकता आने तक का लंबा सफर तय हो चुका है। अब बड़ी संख्या में महिलाएं पूरे आत्मविश्वास के साथ पंचायत चुनावों में हिस्सा ले रही हैं और अपनी काबिलियत साबित कर रही हैं।

आभा देवी (मुखिया): पटना के फुलवारीशरीफ के गौनपुर पंचायत की मुखिया रहीं आभा देवी अपने पास पिस्टल रखती हैं। गौनपुर पंचायत के अपराधी मुखिया आभा देवी के नाम से ही कांपते हैं। बकौल आभा देवी, ''शुरू–शुरू में कई बार लोगों के बीच काम करने में परेशानी होती थी। कई लोग धमकियां देते थे। आखिर में मैंने खुद ही पिस्टल चलाना और रखना सीख लिया।'' हालांकि अभी तक इस पिस्टल को चलाने का उन्हें कभी मौका नहीं आया, केवल अपने पास रखने भर से ही काम चल जाता है। आभा देवी 2 बार गौनपुर पंचायत की मुखिया रही हैं। अपने पंचायत में वे 'रिवॉल्वर रानी' के नाम से मशहूर हैं। यही नहीं बिहार की ये पहली ऐसी मुखिया हैं, जो कमर में रिवाल्वर बांधकर चलती हैं। आभा देवी अपने काम की बदौलत 2 बार से मुखिया के पद पर जीत रही हैं।

आभा देवी पंचायत के काम के साथ–साथ एक कुशल गृहिणी भी हैं। उनके चार बच्चे हैं। पंचायत का काम बिना किसी अवरोध के पूरा हो जाए, इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने आर्म लाइसेंस लेने का निर्णय लिया और 2016 से ही अपने कमर में

पिस्टल बांधकर पंचायत का काम करवाने लगी। पिस्टल अपनी सुरक्षा के साथ–साथ पंचायत के लोगों की सुरक्षा के लिए भी रखती हैं। वे कहती हैं कि सरकार की जितनी भी योजनाएं पंचायत के लिए जारी होती हैं, उनको धरातल पर उतारने के लिए पूरी लगन से काम करती हूं। उसमें कुछ दिक्कत आती हैं, तो पदाधिकारियों की भी मदद लेती हूं। पंचायत के लोगों को जातीय आवासीय राशन कार्ड जैसी तमाम चीजें बनवाने के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जाना होता है, बल्कि, पंचायत भवन में ही सब व्यवस्था कर दी गई है। आभा देवी ने बताया कि पंचायत भवन ऊपर से देखने में जितना सुंदर है, अंदर भी साफ–सफाई से लेकर हर एक चीज की मुकम्मल व्यवस्था की गई है. वाई फाई तक की सुविधा आरटीपीएस काउंटर पर कर रखी है। इसके साथ ही पंचायत में पोस्ट ऑफिस है जिसे अपना भवन दिया गया है। वहां पर भवन बना करके पोस्ट ऑफिस को मुखिया आभा देवी के द्वारा शिफ्ट करवाया गया और वहां के स्थानीय लोगों को पोस्ट ऑफिस का तमाम लाभ मिलता है।

अर्चना आनंद (मुखिया): मुखिया पद पर लगातार तीसरी बार निर्वाचित हुईं अर्चना आनंद शराबबंदी कानून का अब जबरदस्त समर्थन कर रही हैं। महिला मुखिया की इस अनोखी पहल की सभी जगह खुलकर तारीफ हो रही है, वहीं पंचायत में भी इस घोषणा का असर देखने के लिए मिल रहा है। सहरसा के महिषी प्रखंड के वीरगांव पंचायत की महिला मुखिया ने शराब की सूचना देने वाले को ईनाम देने की घोषणा की है। इसके पीछे की वजह बताते हुए मुखिया अर्चना आनंद ने कहा कि एक सप्ताह पहले उनके पास गांव की ही एक महिला रोती हुई आयी और कहा कि उसका पति शराब पीकर घर आता है और उसकी पिटाई करता है। इसी के बाद उन्होंने अपने पंचायत में शराब के गोरखधंधे को पूरी तरह से बंद करवाने का फैसला लिया और घोषणा की कि जो भी शराब बेचने वालों या पीने वालों की सूचना देगा, उसको 51 सौ रुपये ईनाम दिया जाएगा और उसकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी।

महिला मुखिया अर्चना आनंद ने बताया कि मुख्यमंत्री बेहतर प्रयास कर रहे हैं, उनको धरातल पर उतारने का प्रयास जारी है और मेरी घोषणा के बाद पंचायत में अब इसका असर दिख रहा है। आठ दिनों के अंदर ही पंचायत में काफी बदलाव आया है, अब शायद ही कोई शराब पीता है। अब पंचायत में शराब का सेवन नहीं हो रहा है।

श्वेता सिंह (मुखिया): भोजपुर के सकड्डी गांव की मुखिया श्वेता सिंह ने अपने गांव में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाया है और वंचितों को उनका सही हक दिलवाया है। वे कहती हैं कि जागरूकता की कमी, प्रशासनिक स्तर पर देरी और भ्रष्टाचार गांवों के विकास के सामने सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए एक जांच टीम का गठन किया है जो भ्रष्टाचार की जड़ का पता लगाने का काम करती है। वे कहती हैं कि सरकार की ओर से कई प्रकार की निधि जारी की जाती थी लेकिन वह जरूरतमंदों तक पहुंच नहीं पाती थी। अब जब मैं लोगों के कल्याण के काम में लग गई हूं तो मुझे कई बार धमकियां भी मिलती हैं। श्वेता सिंह के कामों का ही नतीजा है कि आज गांव में 30 विधवाओं, 10 दिव्यांगजनों और 40 बुजुर्गों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत पेंशन का लाभ मिल रहा है। पार्वती देवी भी उनमें से एक हैं। पार्वती देवी के पति हरिनाथ 80 प्रतिशत दिव्यांग हैं और परिवार की देखभाल करने में असमर्थ हैं। लाचार पार्वती देवी ने मुखिया श्वेता सिंह के सामने अपनी बात रखी। मुखिया ने कहा कि उनके पति सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन पाने के हकदार हैं। उन्होंने पार्वती देवी का ब्योरा लिया और फार्म भी भर दिया। अगले महीने से पार्वती देवी के पति के बैंक खाते में 500 रुपए आने लगे। इससे हरिनाथ के इलाज और घर खर्च के लिए भी कुछ इंतजाम हो गया।

सरपंच ने 20 साल के जमीन विवाद को 6 दिन में सुलझाया

गया जिले के दोभी पुलिस थाना अंतर्गत वारी पंचायत की महिला सरपंच पुष्पांजलि सिंह ने 20 साल पुराने जमीन के विवाद को केवल 6 दिनों में निबटाकर महिलाओं के न्याय और शासन में लोगों के विश्वास को पक्का कर दिया। दरअसल, दोभी थाने के पीदासिन गांव के रामाशीष जब कई सालों के बाद अपने गांव लौटे तो ये देखकर दंग रह गए कि उनके चचेरे भाइयों ने 5.90 एकड़ की पुश्तैनी जमीन से उन्हें बेदखल कर दिया है। पिछले 20 सालों से रामाशीष सिंह अपने हिस्से की जमीन वापस पाने के लिए पुलिस, गांववालों और सिविल कोर्ट का चक्कर लगा रहे थे लेकिन उन्हें कहीं से भी न्याय नहीं मिला। अंततः जब उन्हें पता चला कि पंचायत में महिला सरपंच चुनकर आई हैं, तो वे उनके पास गए। पुष्पांजलि सिंह के लिए भी यह काम आसान नहीं था।

सरपंच

उन्होंने तीनों पक्षों–रामाशीष और उसके चचेरे भाइयों सिद्धी सिंह और राधेश्याम सिंह–को ग्राम कचहरी में हाजिर होने का फरमान जारी किया। उन्होंने समझाया कि इतने वर्षों से कोर्ट और पुलिस का चक्कर काटने के बदले उन्हें आर्थिक और मान. सिक क्षति के अलावा और कुछ हासिल नहीं हुआ है। सरपंच की बातों का तीनों पक्षों पर कुछ हद तक असर हुआ और उन्होंने अपना केस वापस ले लिया। इसके बाद सरपंच पुष्पांजलि सिंह ने अपने पति के साथ मिलकर विवादित जमीन की नापी करवाई और हर पक्ष को उनका उचित हिस्सा सौंप दिया। इस तरह सिर्फ 6 दिनों में इस मामले को निबटा लिया गया। जून 2016 में 18 गांवों और 15 वार्डों के सरपंच का पद संभालने के बाद से पुष्पांज. लि सिंह ने 52 सिविल और 30 आपराधिक मामलों को अपनी ग्राम कचहरी में सुलझाया है, और इसी वजह से उन्हें निष्पक्ष सरपंच के नाम से भी जाना जाता है।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना ही हमारा सपना

पिछले पंचायत चुनाव में महिलाओं की भागीदारी के कई रंग सामने आए। इसमें न केवल अलग–अलग ग्रामीण इलाकों की महिलाओं ने अपनी उम्मीदवारी सुनिश्चित की, बल्कि ऐसी महिलाएं भी मुकाबले में रहीं जिन्होंने देश के प्रतिष्ठित कॉलेजों से उच्च शिक्षा प्राप्त की और मल्टीनेशनल कंपनियों में काम भी किया। राज्य के गया जिले के मानपुर प्रखंड की शादीपुर पंचायत की सरपंच डॉली की कहानी कुछ ऐसी ही है। 31 साल की डॉली ने पुणे के अति प्रतिष्ठित सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री प्राप्त की है और कई मल्टीनेशनल कंपनियों में काम भी किया है। उन्होंने चुनाव लड़ा और आज अपने पंचायत की सरपंच हैं। डॉली ने बताया कि उन्होंने 2008 में अपनी 12वीं की परीक्षा पास की थी और बाद में उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का रुख किया। 2014 में उनकी शादी हो गई और 2018 में उन्होंने अच्छे पैकेज वाली अपनी नौकरी को छोड़कर गांव लौटने का फैसला कर लिया। अभी डॉली की एक 4 साल की बेटी भी है। उनकी सास 8 सालों तक शादीपुर पंचायत की सरपंच रही थीं लेकिन नवंबर 2018 में कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनका निधन हो गया। डॉली कहती हैं कि सास का निधन गांव के लिए बड़ा नुकसान था और अब गांव में कोई शिक्षित और जिम्मेदार व्यक्ति की जरूरत थी। उसी समय मैंने नौकरी छोड़ने और सरपंच का चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया। और सबके सहयोग से मैं जीत गई। तब से डॉली गांव के विकास में जुटी हैं और यही वजह रही कि दूसरी बार भी उन्हें जीत हासिल हुई। अपने सपनों के बारे में बताते हुए डॉली कहती हैं कि वे गांव में कुटीर उद्योग की स्थापना करना चाहती हैं ताकि महिलाओं को रोजगार मिले और वे आत्मनिर्भर बन सकें। अभी भी घरेलू हिंसा सबसे बड़ी समस्या है।

सरपंच

महिला पंचों को जिम्मेदारी निभाने के लिए किया प्रेरित

सरपंच

सारण जिले के परसा थाना के सगुनी गांव की महिला सरपंच बिंदु देवी ने अपनी ग्राम कचहरी में न्याय का शासन स्थापित किया है। उन्होंने अन्य महिला प्रतिनिधियों को भी इस बात के लिए प्रेरित किया है कि वे अपनी जिम्मेदारियों का ठीक तरीके से निर्वाह करें। पटना यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में मास्टर्स की डिग्री लेने वाली बिंदु देवी अपने पति मणिलाल के साथ राजधानी पटना में रहती हैं। हर रविवार को वे अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बस से सगुनी जाती हैं और अन्य महिलाओं से भी ग्राम कचहरी की बैठक में पहुंचने की अपील करती हैं। बिंदु देवी कहती हैं, ''महिला पंचों को अपने पति की बजाय स्वयं कचहरी में पहुंचने और भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित करना बहुत कठिन काम था।'' वो कहती हैं, ''औरतें अब भी हफ्ते में एक बार कचहरी में आने में भी झिझकती हैं। मैंने गांव की इन औरतों को मनाया–समझाया। अब जबकि ये महिला पंच कचहरी पहुंचने लगी हैं तो इसे मैं एक उपलब्धि मानती हूं।'' बिंदु देवी के अनुसार, अपने अधिकारों और कर्तव्यों को पूरा करने में महिला जनप्रतिनिधियों की झिझक का सबसे बड़ा कारण उनका अशिक्षित होना है। वो कहती हैं कि उनकी कचहरी में जितनी भी महिला पंच हैं वे या तो अशिक्षित हैं या ड्रॉपआउट हैं। यहां तक कि कुछ औरतें जो हस्ताक्षर करना जानती भी हैं वे भी अंगूठे का निशान लगाती हैं क्योंकि उनमें आत्मविश्वास की कमी है। बिंदु देवी बताती हैं कि गांव में भ्रमण के दौरान महिलाएं इस बात को स्वीकार करती हैं कि शिक्षित न होना उनके लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। बिंदु देवी को उनकी निष्पक्ष न्याय प्रणाली के लिए भी जाना जाता है। पिछले वर्ष एक मामले को सुलझाने के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था जिसके बाद सगुनी से लेकर पटना तक विरोध–प्रदर्शन किया गया था और बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था।

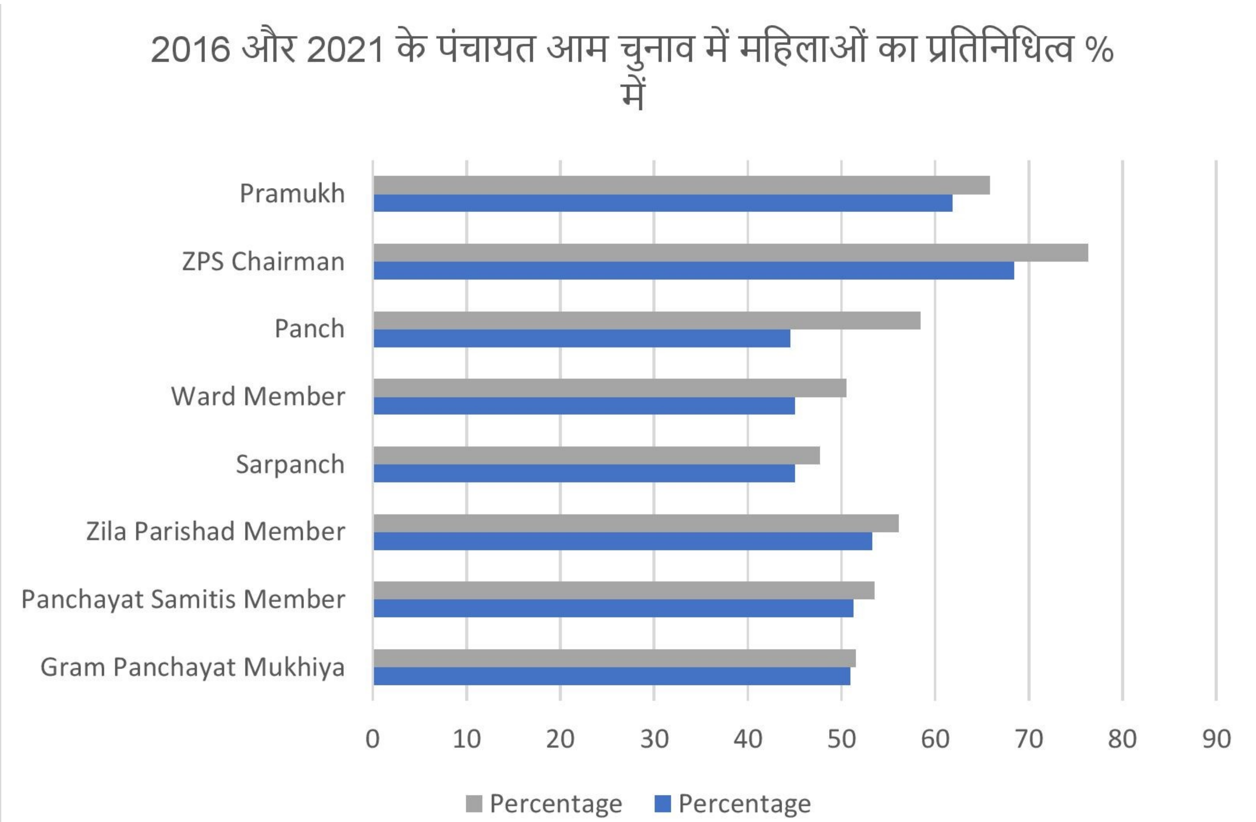

''शुरू–शुरू में मुझे लोगों के सामने जाने में, उनके सामने बोलने में भय होता था। मैं हमेशा अपने पति को आगे कर देती थी। लेकिन अब मुझे कोई संकोच नहीं होता है और मीटिंग में भी मैं अकेले ही जाने लगी हूं।''

बिहार के गांव–गांव में बदलाव की ये एक झलक भर है। पंचायतों में मुखिया, सरपंच और सदस्य के तौर पर महिलाएं अब सिर उठाकर चलना सीख गई हैं। घर संभालने के साथ–साथ अब गांव भी संभालने लगी हैं। जो कभी अपने परिवार के फैसले लेने में भी पति और ससुर का मुंह जोहती थीं, वो आज पंचायत के फैसले लेने लगी हैं। ये क्रांति आई पंचायत चुनावों में औरतों को 50 प्रतिशत आरक्षण देने से। घर की चारदीवारी से निकालकर गांव की बैठकों तक में उन्हें पहुंचाने और एक सम्मानित और जिम्मेदार नागरिक बनाने में बिहार सरकार की महती भूमिका है।

समाज के सबसे निचले स्तर से उठकर नेतृत्व के स्तर तक पहुंचने वाली ऐसी ही कुछ महिलाओं की कहानी

बदलाव की पहलकदमियां

वीणा देवी

''पंचायत चुनाव जीतने के बाद मेरे आत्मविश्वास व मनोबल में वृद्धि हुई है। मेरे कार्य को एक दिशा मिली है और अब मैं बिना डरे अपनी बातों को मजबूती के साथ बड़े अधिकारियों व राजनेताओं के समक्ष रखने में सक्षम हुई हूँ।'' ये कहना है नालंदा के बराह गाँव की वार्ड सदस्य वीणा देवी का।

वीणा देवी के माता–पिता के देहांत के बाद इनका पालन–पोषण दादा–दादी ने किया। इनकी शादी 2005 में बराह गाँव के टुनटुन शर्मा से हुई जो पेशे से बढ़ई हैं। शादी के बाद ये पति के साथ पटना में रहती थीं परंतु पति का व्यवसाय नहीं चलने के कारण ये बराह में अपने सयुंक्त परिवार में रहने लगीं। नेतृत्व के गुण वीणा देवी में शुरू से ही थे और कई बार तो उनकी सास कह भी देती थीं, "तुम नेता बनने के लायक हो"। लोकहित के मुद्दों को समझने की क्षमता के कारण ही वे चुनाव में खड़ी हुईं लेकिन पति ने उनका विरोध किया। हालांकि परिवार के बहुत समझाने पर मान गए। प्रचार के दौरान वीणा देवी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि वे गांव में सड़क निर्माण और हर घर नल जल योजना पहुंचाएंगी। उनकी लगन व कड़ी मेहनत रंग लाई और लोगों ने उन्हें अपना वोट देकर विजयी बनाया। वो जीत तो गई थीं लेकिन योजनाओं, अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पूरा ज्ञान न होने की वजह से वे ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रही थीं। बाद में एक संस्था से मिले प्रशिक्षण के बाद उन्होंने आंगनबाड़ी सेंटर, स्वास्थ्य केंद्र जाना शुरू किया व स्वास्थ्य कार्यकर्ता से अपनी पहचान बनाई। इतना ही नहीं, अपने गाँव के लोगों को भी स्वास्थ्य व पोषण के मुद्दे, जैसे गर्भावस्था के दौरान जांच की महत्ता, एनीमिया व आयरन की गोली का उपयोग, बच्चों व गर्भवती महिलाओं के पौष्टिक भोजन के बारे में बताना शुरू किया। अब वे आरोग्य दिवस, अन्नप्राशन दिवस, गोद भराई दिवस मनाने में, टेक होम राशन बंटवाने, तथा महिलाओं, विशेष कर गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने के लिए स्वास्थ्य केंद्र ले जाने में मदद करती है।

वीणा देवी बताती हैं कि प्रशिक्षण के दौरान एक सत्र में मोबाइल के महत्व को जानने के बाद मैंने स्मार्ट फोन लिया और अब उसका इस्तेमाल अपने कार्य में तेजी और निपुणता लाने के लिए कर रही हूँ। 104 पर फोन करके आंगनबाड़ी पर जाँच टेबल नहीं होने की शिकायत दर्ज करती हूँ। जिस पर कार्रवाई भी होती है। वीणा देवी कहती हैं कि अगर सरकार ने पंचायत के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं दिया होता तो आज मैं चूल्हा चौकी के अलावा कुछ भी नहीं कर रही होती। सरकार के इस कदम ने मेरे जैसी हजारों महिलाओं को नेता बना कर समाज में हमारी अपनी पहचान बनाई है।

सलोनी मुर्मू

बिहार पंचायत चुनाव बदलाव का वाहक बनकर उभरा है। जमुई जिले के चकाई प्रखंड में एक ऐसी जिला परिषद उम्मीदवार ने जीत हासिल की है जो बीते कई वर्षों से इलाके की महिलाओं को आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनाने के लिए काम कर रही हैं। जिला पार्षद के रूप में निर्वाचित सलोनी मुर्मू कई वर्षों से इलाके की महिलाओं को मशरूम उत्पादन से जोड़कर उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए काम करती आ रही हैं। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं को उन्होंने मशरूम उत्पादन से जोड़कर रोजगार दिया था, उन्हीं लोगों ने उनसे चुनाव लड़ने की बात कही थी। चुनाव में मुझे उनका समर्थन मिला जिस कारण आज मैं निर्वाचित हो पाई।

सुनीता देवी

औरंगाबाद के ओबरा प्रखंड की उब्ब पंचायत की वार्ड सदस्य सुनीता देवी गरीब परिवार से हैं लेकिन उन्होंने अपनी दसवीं तक की पढ़ाई पूरी की है। जिस समय उन्होंने चुनाव जीता, उन्हें अपनी ताकत का कोई अहसास नहीं था। वे न तो कभी घर से बाहर निकलती थीं और न ही पंचायत की बैठक में हिस्सा लेती थीं। उनके बदले उनके पति ही हर जगह मौजूद होते थे। एक संस्था की टीम ने भी जब उनसे मिलना चाहा तो उनके पति ने उनसे मिलवाने में अनिच्छा जाहिर की। लेकिन टीम के बार–बार आग्रह करने पर सुनीता देवी उनसे मिल पाईं। अगले तीन दिनों के प्रशिक्षण के बाद सुनीता देवी को अपनी क्षमता का अहसास हुआ और उन्होंने एक वार्ड सदस्य के तौर पर सक्रियता से काम करना शुरू कर दिया। वे घर–घर जाकर लोगों से मिलीं और महिलाओं को उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता, गर्भवस्था में देखभाल और लड़कियों के सही उम्र में विवाह के लाभ के बारे में बताया। इसके बाद उन्होंने मुखिया पर पंचायत और ग्राम सभा की महीने में दो बार बैठक करने का दबाव बनाया। बैठक में भी पति के बजाय वे खुद जाने लगीं। बैठक में उन्होंने गांव में पक्की सड़क बनवाने की मांग उठाई जो अंततः मान ली गई, और जल्द ही सुनीता देवी की निगरानी में पक्की सड़क का निर्माण पूरा हो गया। अब उनका लक्ष्य स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालयों का निर्माण करवाना है।

शैल देवी

पटना जिले के मसौढ़ी प्रखंड की वार्ड सदस्य शैल देवी आज आयरन दीदी और नेता के रूप में जानी जा रही है। पर शुरुआत से ही वो ऐसी नहीं थीं। 7वी क्लास तक पढ़ने के बाद उनकी शादी पटना के भैसवाँ पंचायत के अनुज कुमार वर्मा से हो गई। घरेलू महिला के तौर पर बच्चों एवं पति की देखभाल के अलावा उन्होंने कभी नेतागीरी के बारे में सोचा भी नहीं था। 2016 में जब उनके वार्ड की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हुई तो परिवार की आपसे सहमति से वो चुनाव में न सिर्फ खड़ी हुई अपितु समुदाय की मदद से जीत भी गईं।

हालांकि पहली बार नेता बनने के बाद उन्हें अपनी शक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। चुनाव जीतने के दो साल बाद तक भी वो सिर्फ नल जल, इन्दिरा आवास, वृदधा पेंशन और मनरेगा के कार्यों के बारे में ही जानती थीं पर स्वास्थ्य और पोषण के मुद्दे से जुड़े कार्यों के बारे में दूर–दूर तक वाकिफ नहीं थीं। एक परियोजना के अंतर्गत आयोजित क्षमता वर्धन प्रशिक्षण के दौरान स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और चिंताओं का इनके ऊपर इस कदर प्रभाव पड़ा की वे महिलाओं को इन समस्यों से निजात दिलाने के लिए कृतसंकल्पित हो गयीं। प्रशिक्षण के बाद उन्होंने अपनी पंचायत में स्वास्थ्य उप केंद्र का मुआयना किया और वहां की दुर्दशा देखकर 104 नंबर पर शिकायत दर्ज कराई। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा और उनसे आग्रह किया की इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाए। उनके कठिन प्रयासों की वजह से शीघ्र ही स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य उप केंद्र को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में तब्दील करने का आदेश दिया। अब शैल देवी का प्रयास है कि वहाँ डॉक्टर और एएनएम की नियुक्ति जल्द से जल्द हो सके ताकि पूरी पंचायत के लोग बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त कर सके।

शैल देवी अपने आंगनबाड़ी पर महीने में एक दिन आयोजित होने वाले आरोग्य दिवस के दिन किसी को भी स्वतः मिल जाती हैं। वे अपने यहाँ की सेविका एवं एएनएम दीदी के भी लगातार संपर्क में रहती हैं ताकि गोलियों का नियमित वितरण आरोग्य दिवस के दिन हो सके। अन्नप्राशन दिवस हो या गोद भराई दिवस, वो पुरुष भागीदारी को भी सुनिश्चित करवाती हैं ताकि महिलाओं के स्वास्थ्य का मुद्दा बस महिलाओं की ज़िम्मेदारी बनकर न रह जाए। आज उनकी पहचान एक ऐसे वार्ड सदस्य के रूप में हो रही है जिन्होंने एनीमिया की रोकथाम का बीड़ा तथा गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने का जिम्मा अपने सिर पर उठा लिया है। राज्य के अन्य वार्ड सदस्यों के लिए भी वे एक प्रेरणा श्रोत के रूप में हैं।

रागिनी देवी

कोरोना काल में जब लोगों और प्रशासन का पूरा ध्यान टीकाकरण और महामारी से बचाव की ओर था, तब घरों में बंद औरतों को परिवार नियोजन के साधन उपलब्ध कराने की फिक्र किसी को भी नहीं थी। समस्तीपुर ज़िले के बहादुरपुर पंचायत की वार्ड सदस्य रागिनी देवी ने औरतों की इस तकलीफ को समझा और उनतक सुविधा पहुंचाने का बीड़ा खुद उठाया।

आशा से संपर्क करने पर पता चला कि वह कोरोना के टीकाकरण और टेस्टिंग में व्यस्त थीं इसलिए गांव में परिवार नियोजन संबंधी आपूर्तियों का आना बंद हो गया था। रागिनी देवी महिलाओं से मिलीं, उनका कहना था चूंकि जन्म वह देती हैं और दर्द भी वह सहन करती हैं इसलिए परिवार में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही उन्हें घर से निकलकर आंगनबाड़ी केंद्र जाने में कोरोना संक्रमण का डर भी था। यह सब जानने के बाद रागिनी देवी ने ठान लिया कि परिवार नियोजन की सुविधा से वंचित हो कर कोई भी महिला अनचाहे गर्भ के लिए विवश ना हो। इसके लिए उन्होंने एक संस्था से लेकर तमाम आला अधिकारियों से विचार–विमर्श किया। उन्होंने आवेदन दिया कि सभी परिवारों को परिवार नियोजन सुरक्षा किट मुहैया कराई जाए। हर सुरक्षा किट में तीन पीस कंडोम, तीन पीस माला एन/तीन पीस छाया गर्भनिरोधक गोली, एक पीस गर्भ प्रशिक्षण किट होता है। पटोरी प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने आशा को गर्भनिरोधक निर्गत करवाया एवं रागिनी देवी और आशा कार्यकर्ता मीरा देवी ने मिलकर किट को तैयार किया। उनके प्रयासों की पूरे गांव में सराहना की जा रही है।

निर्मला देवी

बिहार में स्वच्छता मिशन शुरू होने के बाद रामपुर पहली पंचायत बनी जिसने खुद को खुले में शौचालय मुक्त होने की घोषणा की। 2819 घरों वाले रामपुर ने चार महीनों के भीतर यह उपलब्धि हासिल कर ली और इसके पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा बनीं यहां की मुखिया निर्मला देवी। 60 वर्ष की निर्मला देवी ने जो उत्साह और तत्परता दिखाई वह नौजवानों के लिए भी नजीर बन गई। निर्मला देवी ने समुदाय आधारित पूर्ण स्वच्छता अभियान का इस्तेमाल किया और उनकी प्रेरणा से गांव के लोगों ने भी खुले में शौच करने वालों का बहिष्कार किया। गांव में चाय की दुकान करने वाले अनिल शाह ने उन लोगों को चाय पिलानी बंद कर दी जो खुले में शौच करते थे। ऐसा करने से अनिल को नुकसान तो हुआ लेकिन उन्होंने गांव में स्वच्छता को ज्यादा तरजीह दी और अपने फैसले पर अड़े रहे। ऐसा ही जज्बा गांव के पोलियोग्रस्त धीरज कुमार ने भी दिखाया और लोगों को खुले में शौच करने से रोकने की कसम उठा ली। धीरज जानते थे कि खुले में शौच करने से पोलियो के वायरस फैलते हैं और वे नहीं चाहते थे कि जो दर्द वे झेल रहे हैं उसे किसी और को भी झेलना पड़े। धीरज और अनिल जैसे लोगों को प्रेरित किया गांव की मुखिया निर्मला देवी ने और उन्होंने 25 दिनों के भीतर गांव में 1100 से ज्यादा शौचालय बनवा कर महज चार महीनों में खुले में शौच मुक्त गांव का तमगा अपने नाम कर लिया। निर्मला देवी को डीएम और सीएलटीएस के जिला समन्वयक का भी भरपूर साथ मिला।

हाशमा खातून

पूर्वी चंपारण के छौरादानो प्रखंड की तिनकोनी पंचायत की सदस्य हाशमा खातून कोरोना काल के दौरान एक सशक्त महिला के तौर पर उभरी हैं, जिन्होंने लॉकडाउन के समय कितनी ही गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने और उनका सुरक्षित प्रसव कराने में मदद की है। उनका मकसद हरेक गर्भवती को इलाज के बिना होने वाली परेशानी से बचाना था। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के समय लोगों को राशन की आपूर्ति कराना, बाहर से आये लोगों की पहचान कराना, उन्हें क्वारंटाइन में रखना और पर्याप्त समुचित चिकित्सा उपलब्ध करवाना उनकी दिनचर्या में शामिल हो गए थे। लॉकडाउन के बाद गर्भवती महिलाओं का सुरक्षित प्रसव कराने में वे सफल हुई हैं। 102 पर फोन कर एंबुलेंस की व्यवस्था करवाना और प्रसव करवाकर उन्हें घर पहुंचाने तक के काम में वे प्रतिबद्धता से जुड़ी रहीं। वे बताती हैं कि उस समय जब कोई वाहन मिलना मुश्किल हो गया था तब उन्होंने एक महिला को मोटरसाइकिल से अस्पताल भिजवाया। ''इसी तरह एक अन्य गर्भवती को किसी तरह ऑटो रिजर्व कर अस्पताल लेकर गई। रास्ते में पुलिसवाले रोकते रहे लेकिन मैंने उनसे बातकर महिला को अस्पताल पहुंचाया और प्रसव करवाया। दो महिलाओं के ऑपरेशन की नौबत आई और उनको सदर अस्पताल मोतिहारी रेफर किया गया, लेकिन दूर होने के कारण मैंने उनका प्रसव निजी अस्पताल में ही करवाया।''

नीलम कुमारी

पूर्वी चम्पारण के मोतीहारी प्रखण्ड के पश्चिम ढ़ेकहा लक्ष्मण टोला पंचायत की 38 वर्षीय वार्ड सदस्य नीलम कुमारी (गिरी) अपने गाँव के ही स्कूल से दसवी तक पढ़ाई पूरी करने के बाद सिलाई का कार्य कर अपने परिवार का भरण पोषण करती थीं। नीलम बताती हैं कि उनका जन्म भले ही साधारण परिवार में हुआ था लेकिन वो बचपन से ही हठी थीं। उन्होंने कहा, ''मैंने अपनी बहन की मौत होने के बाद उसकी बेटी को गोद लिया और उसके पालन–पोषण हेतु कभी शादी नहीं करने का निर्णय लिया, जिसे मैंने कर दिखाया है। मैंने यह प्रण लिया कि अपनी बेटी को अच्छी और उच्च शिक्षा दूँगी। जब 2016 में पंचायत चुनाव की खबर आई तो मैंने चुनाव में खड़े होने का निर्णय लिया और मेरे इस निर्णय का मेरे भाइयों ने पूरा समर्थन दिया।'' नीलम बताती हैं चुनाव में जीत हासिल करने के बाद भी उनके लिए रास्ता आसान नहीं था। उसी दौरान एक परियोजना से वो जुड़ीं और उसके बाद तन–मन से पंचायत के विकास के काम में जुट गईं। कोरोना के दौरान उन्होंने हाशिये पर के लोगों के लिए खुद 200 से अधिक मास्क बनाकर वितरण करवाया। उन्होंने मातृत्व स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े मुद्दों पर भी मजबूत कदम उठा कर समुदाय के लोगो को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाने के लिए प्रयास किया।

चुलबुल देवी

समस्तीपुर के पटोरी प्रखंड की हसनपुर सूरत पंचायत की वार्ड सदस्य चुलबुल देवी का विवाह 14 साल की कम उम्र में हो गया था और 16 साल की उम्र में वो पहली बार मां बनीं और फिर बेटे को जन्म देने के दबाव के कारण देखते ही देखते वह 4 बेटियों की मां बन गयीं। इसके बाद चुलबुल देवी ने दो और लड़कों को जन्म दिया। इन सबके बीच परिवार की आर्थिक स्थिति और चुलबुल देवी की सेहत दोनों बिगड़ती जा रही थी। चुलबुल देवी अपनी ज़िदगी के बारे में कहती हैं, ''मैं नहीं चाहती कि कोई भी महिला अपनी ज़िंदगी में वह सब कुछ सहन करे जो मैंने किया।'' चुलबुल देवी ने चुनाव लड़ा और चुनी गईं। अब वे अपने वार्ड में सभाओं के माध्यम से लोगों को परिवार नियोजन के बारे में जानकारी दे रही हैं। वह लोगों को बता रही हैं कि आप परिवार नियोजन के साधनों को अपनाकर अपनी जिंदगी को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। चुलबुल देवी चाहती हैं कि सरकार ऐसी योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जिससे खासतौर से पुरुषों को जागरूक किया जा सके और वह भी परिवार नियोजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। चुलबुल देवी ने बहुत सारे परिवारों पर अपनी छाप छोड़ी हैं।

साभार: सी3 / www.thebetterindia.com

नया दौर, नए इरादे

मिलते हैं नई पीढ़ी की हमारी नई जनप्रतिनिधियों से

रेखा देवी : दिहाड़ी मजदूर से मुखिया तक

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पंचायती राज का जो सपना संजोया था, वो आज पूरा हो रहा है। समाज के सबसे कमजोर व अंतिम पायदान पर रहने वाले लोग पंचायत का नेतृत्व प्रधान बनकर करने जा रहे हैं। उनका सपना पंचायत के विकास का है। जमुई जिले के इस्लामनगर अलीगंज प्रखंड अंतर्गत सहोडा पंचायत अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। पंचायत चुनाव 2021 में डांढ महादलित टोला निवासी सुरेन्द्र मांझी की पत्नी रेखा देवी सहोडा पंचायत से मुखिया निर्वाचित हुई हैं। पूरे डांढ गांव के ग्रामीण काफी खुश हैं। नव निर्वाचित मुखिया रेखा देवी अपने पति सुरेन्द्र मांझी के साथ 25 वर्षों से कानपुर जाकर, वहां के ईंट–भट्ठों पर ईंट पाथने का काम कर थीं। रेखा देवी की जीत के बाद गांव के लोग काफी खुश हैं। रेखा से ग्रामीणों की आशा और उम्मीदें जुड़ गईं हैं। यही वजह है कि उन्हें जीत का सेहरा पहनाया गया। जीत के बाद रेखा बताती है कि इस बार भी वे जेठ महीना में ईंट–भट्ठे पर काम कर कानपुर से वापस लौटीं। उनके गांव व समाज के लोगों ने उनके पति सुरेन्द्र मांझी से कह सहोडा पंचायत सुरक्षित सीट से मुखिया पद के लिए उन्हें खड़ा करवाया और पूरे गांव के लोगों के सहयोग से दिहाड़ी करने वाली रेखा देवी पांच उम्मीदवारों में से चुनी गईं। उन्होंने लगभग चार सौ मतों से जीत हासिल की है। आज भी वे एक झोपड़ी जैसे मकान में रहती हैं। उन्हें कई वर्षो पहले इंदिरा आवास मिला था। उसी एक कमरे में रहती हैं। उन्होंने कहा कि अब वह मुखिया बनी हैं। हर सरकारी योजनाओं का लाभ पंचायत के लोगों तक पहुंचाएंगी। नवनिर्वाचित मुखिया कहती हैं कि आजादी के 70 दशक बीत जाने के बाद भी महादलित टोला आने के लिए पक्की सड़क नसीब नहीं है। वे गांव की गलियों एवं नालियों को दुरूस्त करवाएंगी। हर गरीब को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का काम करेंगी।

प्रियंका प्रिया

समस्तीपुर जिले के मोरवा प्रखंड के लरूआ ग्राम पंचायत की मुखिया प्रियंका प्रिया ने एक आदर्श जनप्रतिनिधि की छवि को सामने रखते हुए कोरोना की पहली लहर के दौरान ही कोविड से बचाव की किट का वितरण सुनिश्चित कराया और लोगों को इसके इस्तेमाल के प्रति जागरूक करने का अभियान चलाया। इतने गंभीर संकट के समय भी वे पंचायत के हर कोने तक पहुंचती थीं ताकि किसी भी संक्रमण के मामले का शुरुआत में ही पता लगाया जा सके और उसे फैलने से रोका जा सके। इसके लिए वे लगातार मुहिम चलाती रहीं। लॉकडाउन के समय बाहर से गांव लौटने वाले प्रवासी लोगों के प्रति भी प्रियंका संवेदनशील रहीं और क्वारंटाइन सेंटर में उनके रहने और खाने–पीने की पूरी व्यवस्था कराई।

जमुई जिले के हरला पंचायत में निमकी मुखिया की तरह पहचान बनाने वाली कोमल कुमारी ने जीत हासिल की। इतिहास में ग्रेजुएट कोमल कुमारी के पति निरंजन कुमार मध्य विद्यालय में शिक्षक हैं। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और फिर पंचायत और गांव के विकास की सोच लेकर कोमल कुमारी चुनावी मैदान में उतरी थीं। प्रचार–प्रसार के दौरान उनके पंचायत के लोगों ने उनका नाम निमकी मुखिया रख दिया था। निमकी मुखिया नाम रखे जाने पर निर्वाचित मुखिया कोमल कुमारी ने बताया कि उन्हें कोई मलाल नहीं कि उनका नाम निमकी मुखिया रखा गया। वो निमकी मुखिया से भी बढ़कर काम करेंगी। उनके पंचायत में कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता। कोई अधिकारी या सरकारी कर्मचारी अगर उनके पंचायत के विकास में बाधक बने या फिर भ्रष्टाचार करेगा तो उसे वो नहीं छोड़ेंगी। बड़ी बात यह है कि जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड के 13 पंचायतों में आठ जगहों पर महिला प्रत्याशी मुखिया पद पर निर्वाचित हुई हैं।

कोमल कुमारी (निमकी मुखिया)

मधु

2021 के पंचायत चुनाव में पूर्णिया के धमदाहा प्रखंड की इटहरी पंचायत से 25 साल की मधु कुमारी ने सरपंच के पद पर जीत हासिल की। मधु ने न केवल खुद चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाई बल्कि अपने छोटे भाई राजन कुमार को भी प्रोत्साहित किया और उसने भी बीकोठी प्रखंड के ओरलहा पंचायत समिति के सदस्य के तौर पर जीत हासिल की। दोनों ही भाई–बहन स्नातक हैं। मधु कुमारी एवं राजन कुमार बीकोठी के बालुटोला गांव के निवासी हैं। मधु की शादी चार वर्ष पूर्व इटहरी पंचायत के हरिपुर गांव निवासी संतोष कुमार से हुई जिसके बाद से वह अपने ससुराल में रहने लगी। जब पंचायत चुनाव की घोषणा हुई तो मधु ने भी चुनाव लड़ने का मन बना लिया। मधु और उनके भाई टीवी पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक निमकी मुखिया से प्रभावित थे और उसी को देखकर चुनाव लड़ना चाहते थे।

राजन बीकोठी के ओरलाहा पंचायत के बलुटोला के रहने वाले हैं तो राजन ने ओरलहा पंचायत से पंचायत समिति के सदस्य पद पर चुनाव करने का फैसला लिया। हालांकि राजन के चुनाव लड़ने के फैसले पर घर वालों ने एतराज जताया और कहा कि अभी पढ़ने–लिखने की उम्र है। लेकिन राजन की बहन मधु ने घर वालों को समझाया और उन्हें मना लिया, जिसके बाद राजन ने पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद जब धमदाहा में चुनाव होने थे तो मधु ने अपने ससुराल वालों के सामने सरपंच का चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा। हालांकि इस पर ससुराल वालों ने शुरू में उसका विरोध किया लेकिन फिर राजन ने घरवालों को समझाया जिसके बाद मधु को चुनाव लड़ने की इजाजत मिल गई। मधु ने भी सरपंच का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। दोनों ने अपना चुनाव प्रचार बिना किसी शोर शराबे के और सादगी के साथ किया था।

सुषुमलता

भोजपुर के जगदीशपुर प्रखंड की दावा पंचायत की मुखिया सुषुमलता के बेहतर काम की वजह से पीएम मोदी ने भी उन्हें सम्मानित किया है। उन्होंने दावा पंचायत में बेहतर काम और बेहतर ई–गवर्नेंस के लिए भोजपुर का नाम रोशन किया। उनकी पंचायत एक आदर्श पंचायत के रूप में जानी जाती है। आने वाले दिनों में अब वहां बायोगैस प्लांट लगाने की भी योजना है ताकि बायोगैस के माध्यम से घरों में खाना बन सके और एलपीजी के झंझट से मुक्ति मिल सके।

मुखिया सुषुमलता ने ग्राम सभा और वार्ड सभा की बैठकों में पूरे समुदाय को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि उनकी समस्याओं को सामूहिक रूप से उठाया जा सके और उनमें ग्राम पंचायत के कामों को लेकर भरोसे का निर्माण किया जा सके। उनके प्रयासों के कारण ही आज दावा पंचायत की महिला जनप्रतिनिधि मुक्त होकर बैठकों में भाग लेती हैं और अपनी बात को निर्भय होकर रखती हैं। सुषुमलता ने सरकार से मिले पैसे का सही उपयोग कर गांव की आधारभूत संरचना को बेहतरीन ढंग से विकसित किया है। इसमें खुद ग्राम पंचायत का कार्यालय भी शामिल है जिसे विश्व बैंक की सहायता से निर्मित किया गया है। वो बताती हैं कि पहले किराए की जर्जर इमारत को देख लोगों को पंचायत की ताकत पर भरोसा नहीं होता था। आज वे आत्मविश्वास से आते हैं और अपनी परेशानियों का समुचित समाधान पाते हैं क्योंकि अब सब कुछ कम्प्यूटर से संचालित होता है। शादी के बाद इस गांव में आने पर सुषुमलता एक स्वयं सहायता समूह का हिस्सा बन गईं। इसके बाद उन्होंने सामाजिक कार्य में मास्टर की डिग्री ली और 2016 व 2021 में मुखिया चुनी गईं। आज वे इस सूदूर क्षेत्र में बिहार सरकार का चेहरा हैं। उन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। सुषुमलता कहती हैं कि आज गांव वाले जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र लेने आते हैं, पेंशन के लिए आवेदन करते हैं और सरकारी कामों से जुड़े दस्तावेजों के काम पूरे करवाते हैं। उन्हें हम पर भरोसा है।

सीतामढ़ी के पुपरी प्रखंड की सबसे युवा मुखिया मनीषा कुमारी ने महज 21 साल की उम्र में चुनाव जीतकर बौरा बाजितपुर पंचायत में इतिहास रच दिया है। शादी के सिर्फ 10 महीने बाद ही मनीषा ने अपने ससुराल में कई दिग्गजों को करारी शिकस्त देकर जीत हासिल की है। मनीषा ग्रेजुएट हैं। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी को 142 वोटों से शिकस्त दी। मनीषा दिसंबर में गांव में बहु बनकर आई। ऐसे में यह जीत उनके भविष्य के लिए भी काफी मायने रखती है। नवनिर्वाचित मुखिया मनीषा ने कहा कि उनके पास विकास के लिए कई आइडिया हैं। सबसे जरूरी गंगापट्टी घाट पर पुल का निर्माण कराना है जहां दक्षिणी तरफ के लोगों को आने में परेशानी होती है। मनीषा गांव में चल रही विकास योजनाओं की जानकारी ले रही हैं और अब उनका फोकस योजनाओं के कार्यान्वयन और उनकी निगरानी पर है। शिक्षित और जागरूक युवा पीढ़ी के पंचायत चुनाव में भाग लेने और जीतकर आने से माहौल बदलने लगा है। गांव में भी लोग इन महिला प्रतिनिधियों का स्वागत कर रहे हैं। ग्रामीणों को अब मालूम हो गया है कि महिला मुखिया उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करवाने में पुरुषों से कहीं अधिक सक्रिय और सतर्क रहती हैं। अब वे महिला जनप्रतिनिधियों के कामों में उनका सहयोग भी कर रहे हैं।

मनीषा

संख्या ही नहीं, सहभागिता भी बढ़ी

73वें संशोधन ने लोकतंत्र और राजनीतिक समावेशिता की जड़ें मजबूत की है और समाज के सबसे पिछड़े और वंचित तबकों की भागीदारी को बढ़ाया है। 73वें संशोधन के तहत महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए लागू होने वाले आरक्षण के चलते इन समाज के दस लाख से अधिक नए प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में स्थान मिला है। निर्विवाद रूप से ये देश में राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सकारात्मक बदलाव लाने वाली प्रक्रिया है।

असर दिखाने लगी पंचायतों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी

1. हाल के दिनों में हुए अध्ययन और जारी हुई रिपोर्टें बताती हैं कि पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की वजह से बड़ी संख्या में सकारात्मक नतीजे सामने आये हैं। मिसाल के तौर पर एस्थर डफलों और राघवेन्द्र चट्टोपाध्याय ने अपने अध्ययन में पाया कि स्थानीय निकायों में महिला प्रतिनिधित्व का वंचित तबकों को पर्याप्त मात्रा में दिए जाने वाले राशन की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।

2. लक्ष्मी अय्यर द्वारा भी किए गए इसी तरह के एक अध्ययन में पता चला कि स्थानीय निकायों में महिलाओं के होने से दूसरी महिलाओं को अपराध की घटनाओं की जानकारी देने और महिलाओं के हित से जुड़े मामले उठाने में सहूलियत होती है।

3. इस बात के भी स्पष्ट प्रमाण हैं कि अपने निम्न शिक्षा स्तर और राजनीतिक माहौल तथा सूझबूझ की कमी के बावजूद महिलाएँ और अनुसूचित जाति–जनजाति के चुने हुए प्रतिनिधि अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं और सदियों पुराने दमन से बाहर निकलकर नेता के तौर पर उभर रहे हैं।

4. विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था इतने दूरगामी प्रभाव देने वाली है कि केन्द्रीय सरकार ने भी मनरेगा और स्वच्छ भारत जैसी अपनी सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू करने के लिए पंचायतों को ही प्रमुख योजना और क्रियान्वयन केन्द्र बनाया है।

5. विकेन्द्रीकरण की मुहिम रंग लाती दिख रही है। हाल ही में राज्यों के बीच पंचायतों की सक्रियता, अधिकारों के हस्तांतरण और धन देने तथा दायित्वों को लेकर एक स्वस्थ प्रतियोगिता भी शुरू हुई है। बिहार सरकार ने पंचायत सरकार जैसे अनूठे प्रयोग शुरू किए हैं जिसमें विकास से जुड़ी सभी योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन में प्रमुखता दी गई है।

6. महिलाओं के राजनीतिक–आर्थिक सशक्तीकरण के रूप में देश

के विभिन्न भागों में पंचायती राज संस्थाओं पर हुए अध्ययन एवं प्रतिवेदन महिलाओं के प्रदर्शन एवं अनुभव को प्रदर्शित करते हैं। इससे न केवल इनकी पहचान, मान्यता, विश्वास, प्रदर्शन एवं प्रभावी सहभागिता प्रदर्शित होती है बल्कि पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण के वाहक के रूप में उभरी है।

7. अब तक की प्रगति यह प्रदर्शित करती है कि ग्रामीण भारत में महिलाओं में चेतना, जागरूकता, ज्ञान, विश्वास, आकांक्षाएँ, स्व–बोध, सहभागिता, पंचायत एवं बाहरी नेतृत्व, पंचायतों एवं स्वयं पर पड़ने वाले प्रभावों के मामलों में पंचायती राज ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

8. राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक संस्थाओं में महिला की भागीदारी से शासन की गुणवत्ता में भी सुधार आया है। इनकी भागीदारी नागरिक समाज के उन्नयन, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण की सुरक्षा, आर्थिक तथा जीविका से जुड़े मुद्दों में ज्यादा है क्योंकि इनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध महिलाओं से है और ये महिला सशक्तीकरण के सशक्त माध्यम हैं।

9. पंचायती राज के माध्यम से हुए महिला सशक्तीकरण से ग्रामीण महिलायें अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुई हैं। उनमें अन्याय और शोषण के विरूद्ध आवाज उठाने की हिम्मत बढ़ी है। उनके व्यक्तित्व में भी परिवर्तन आया है। उनमें आत्मविश्वास एवं जोश बढ़ा है। रचनात्मक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी बढ़ी है।

10. पंचायती राज संस्थाओं ने महिलाओं के न केवल निर्णय–निर्माण क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, बल्कि विकेन्द्रित नियोजन में विकास कार्यक्रम के प्रशासन, क्रियान्वयन एवं नियोजन में सक्रिय सहभागिता प्रदान की है। पंचायती राज ने ग्रामीण क्षेत्र एवं वंचित (दलित) वर्ग की महिलाओं को परिवार, जाति व समाज में उच्च स्थिति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है क्योंकि इनमें बीपीएल एवं कमजोर तबके की महिलायें भी निर्वाचित हो रही हैं। इसलिए उनका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक सशक्तीकरण हो रहा है।

11. पंचायतों में सहभागिता से महिलाओं ने शिक्षा के महत्व को पहचाना है, क्योंकि शिक्षा के अभाव में उन्हें इन संस्थाओं में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वे स्वयं महसूस करती हैं कि अगर वे शिक्षित होतीं तो इन संस्थाओं में बेहतर तरीक से कार्य संपादन एवं सहभागिता कर पातीं। उनकी इस सोच ने ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया है, जिसकी आज काफी आवश्यकता है।

12. महिला प्रतिनिधि गरीबी, असमानता, लैंगिक भेदभाव, नशाखोरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलू हिंसा आदि मुद्दों को उठाकर ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन की प्रकृति व दिशा को परिवर्तित कर रही हैं। महिलाएँ लोकतंत्र एवं महिला सशक्तीकरण को वास्तविक रूप में साकार कर रहीं हैं।

13. पंचायती राज संस्थाओं में महिला सशक्तीकरण से न केवल दोपहर का भोजन कार्यक्रम, सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), खाद्य सुरक्षा अधिनियम आदि के क्रियान्वयन में फर्क पड़ा है बल्कि ग्रामीण महिलायें अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुई हैं।

सर्वेक्षणों से तो यह बात भी सामने आयी है कि महिला पंचायतों में साक्षर व जागरूक महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या है और यहाँ तक कि अनुभव का फायदा लेते हुए निरक्षर व अनपढ़ महिलायें भी अपना कार्य अच्छी तरह करती हैं। उनका प्रदर्शन पुरूष प्रतिनिधियों से किसी मायने में कम नहीं हैं। पुरुषवादी मान. सिकता के शिकार लोग अक्सर यह तर्क देते रहे हैं कि निरक्षर महिलायें पंचायतों का कामकाज ठीक ढंग से नहीं समझ सकती हैं और वे अपने पतियों द्वारा संचालित 'मोम की गुड़िया' साबित होंगी, लेकिन सर्वेक्षणों के निष्कर्ष इसके उलट हैं जबकि इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने हमेशा पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज की तरक्की में सहयोग दिया है।

(साभार : RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary)

जन वितरण प्रणाली का अनुश्रवण अब मुखिया के जिम्मे

चित्रण: इक्विटी फाउंडेशन

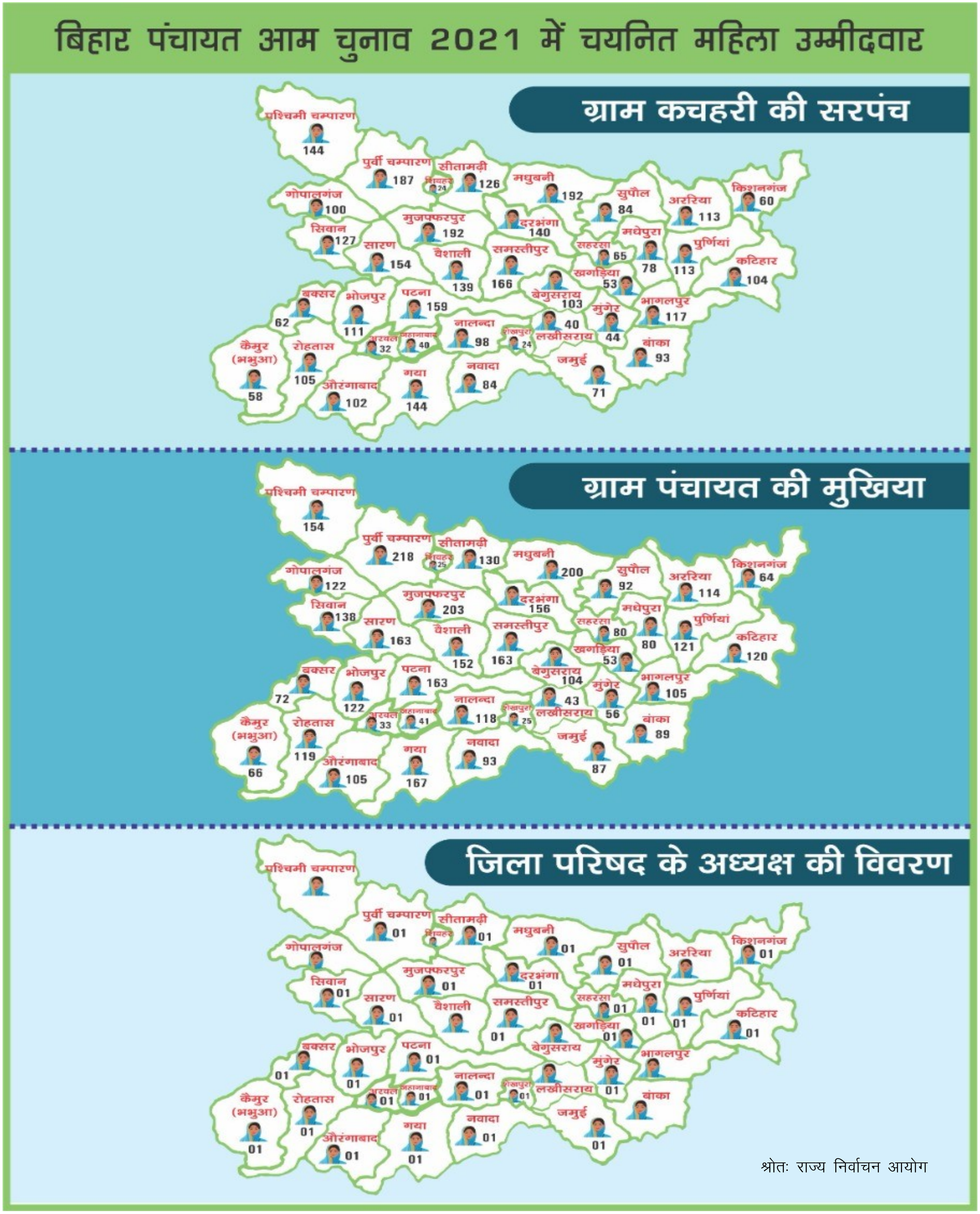
बिहार पंचायत आम चुनाव 2021 में चयनित महिला उम्मीदवार
ग्राम कचहरी की सरपंच
पश्चिमी चम्पारण 144
पूर्वी चम्पारण 187
शिवहर 24
सीतामढ़ी 126
मधुबनी 192
सुपौल 84
अररिया 113
किशनगंज 60
गोपालगंज 100
मुजफ्फरपुर 192
दरभंगा 140
सिवान 127
सारण 154
वैशाली 139
समस्तीपुर 166
सहरसा 65
मधेपुरा 78
पूर्णियां 113
कटिहार 104
खगड़िया 53
बेगुसराय 103
मुंगेर 44
लखीसराय 40
भागलपुर 117
बक्सर 62
भोजपुर 111
पटना 159
नालन्दा 98
शेखपुरा 24
अरवल 32
जहानाबाद 40
कैमुर (भभुआ) 58
रोहतास 105
औरंगाबाद 102
गया 144
नवादा 84
जमुई 71
बांका 93
ग्राम पंचायत की मुखिया
पश्चिमी चम्पारण 154
पूर्वी चम्पारण 218
शिवहर 25
सीतामढ़ी 130
मधुबनी 200
सुपौल 92
अररिया 114
किशनगंज 64
गोपालगंज 122
मुजफ्फरपुर 203
दरभंगा 156
सिवान 138
सारण 163
वैशाली 152
समस्तीपुर 163
सहरसा 80
मधेपुरा 80
पूर्णियां 121
कटिहार 120
खगड़िया 53
बेगुसराय 104
मुंगेर 56
लखीसराय 43
भागलपुर 105
बक्सर 72
भोजपुर 122
पटना 163
नालन्दा 118
शेखपुरा 25
अरवल 33
जहानाबाद 41
कैमुर (भभुआ) 66
रोहतास 119
औरंगाबाद 105
गया 167
नवादा 93
जमुई 87
बांका 89
जिला परिषद के अध्यक्ष की विवरण
पश्चिमी चम्पारण
पूर्वी चम्पारण 01
शिवहर
सीतामढ़ी 01
मधुबनी 01
सुपौल 01
अररिया
किशनगंज 01
गोपालगंज
मुजफ्फरपुर 01
दरभंगा 01
सिवान 01
सारण 01
वैशाली
समस्तीपुर 01
सहरसा 01
मधेपुरा 01
पूर्णियां 01
कटिहार 01
खगड़िया 01
बेगुसराय
मुंगेर 01
लखीसराय
भागलपुर
बक्सर 01
भोजपुर 01
पटना 01
नालन्दा 01
शेखपुरा 01
अरवल 01
जहानाबाद 01
कैमुर (भभुआ) 01
रोहतास 01
औरंगाबाद 01
गया 01
नवादा 01
जमुई 01
बांका
श्रोतः राज्य निर्वाचन आयोग

शराब और घरेलू हिंसा के खिलाफ उठाई आवाज

पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था किए जाने के बाद से अब तक हुए चार पंचायत चुनावों में निर्वाचित होकर आई महिला जनप्रतिनिधियों ने अपनी नेतृत्व क्षमता को कई बार बेहतरीन ढंग से दर्शाया है। कुछ जनप्रतिनिधियों से बातचीत के आधार पर उनकी उपलब्धियों और समस्याओं को यहां रखा जा रहा है।

उप जिला मुख्यालय रोहतास से 6 किलोमीटर दूर बंजारी पंचायत की वार्ड सदस्यों ने कोविड के दौरान अपनी सूझ–बूझ और सतर्कता से महामारी के संक्रमण को सीमित करने में कामयाबी पाई। अपने क्षेत्र की आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम और एसएचजी के सहयोग से इन वार्ड सदस्यों ने न केवल लोगों को जागरूक करने का काम किया बल्कि मिलकर लोगों की खाद्य सहायता के लिए सामुदायिक रसोई की भी व्यवस्था की ताकि कोरोना के दौरान असहाय लोगों तक खाद्य आपूर्ति पर्याप्त तरीके से की जा सके। रसलून बीवी, कुंती कुंवर, कुंती देवी, रीना देवी, श्रद्धा देवी, बैजंती देवी, मिंता देवी, सुनीता देवी, नूरजहां खातून और फूलवंती देवी ने गोदभराई दिवस और अन्नप्राशन दिवस जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कर गर्भवती महिलाओं के प्रति अपनी सजगता को जाहिर किया और उनके निवास के समीप ही बैठक का आयोजन कर उन्हें सुरक्षित मातृत्व की ओर ले जाने का प्रयास किया। बंजारी पंचायत की महिला जनप्रतिनिधि जिला और प्रखंड स्तर के अधिकारियों तक सेवा और सुविधा से जुड़ी कमियों के बारे में अवगत कराती हैं। वे अपने वार्ड की गर्भवती स्त्रियों और छोटे बच्चों के लिए जरूरी सुविधाओं की पहुंच को सुनिश्चित कराती हैं।

दरियापुर पंचायत की मुखिया शोभा देवी के आंदोलन ने दिलाई थी शराब के ठेकों से मुक्ति

बेगूसराय जिले के मथियानी प्रखंड के दरियापुर पंचायत की शोभा देवी को इस क्षेत्र के लोग उस मुखिया के तौर पर जानते हैं जिन्होंने शराब के ठेकों के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा था और जिनके प्रयासों से कई महिलाओं को शराब के नशे में चूर अपने पतियों की मारपीट से निजात मिली थी। शोभा देवी को लगातार दो बार 2006 और 2011 में मुखिया निर्वाचित किया गया था। क्षेत्र के लोग बताते हैं कि शोभा देवी से पहले उनके पति मुखिया थे और वे अपनी ईमानदार छवि तथा शराब के ठेकों के खिलाफ अपनाए गए सख्त रवैये के कारण पूरे क्षेत्र में मशहूर थे। उनके सख्त स्वभाव के कारण ही उनकी हत्या कर दी गई थी। शोभा देवी पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने पति द्वारा छेड़ी गई मुहिम को चालू रखा और उसे पूरा करने के मकसद से ही पंचायत चुनाव में खड़ी हुईं। लोगों ने लगातार दो बार उन्हें मौका दिया। इस दौरान शोभा देवी शराब के ठेकों को बंद करवाने और घरों से हिंसा तथा आर्थिक तंगी को खत्म करने के अपने अभियान में जुटी रहीं। क्षेत्र के लोग बताते हैं कि शोभा देवी को अपने प्रयासों में बहुत हद तक सफलता मिली थी। वे इस बात को दोहराने से नहीं थकते कि मुखिया शोभा देवी ने शराब के ठेकों को बंद करवाकर कई घरों को उजड़ने से बचा लिया और कई महिलाओं और बच्चों को घरेलू हिंसा की चोट से बाहर निकाल लिया। शोभा देवी ने महिलाओं के स्वयं सहायता समूह भी बनाए और उन्हें आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने की कोशिश की। अपनी महिला मंडली के साथ मिलकर उन्होंने शराब के ठेकेदारों के खिलाफ जंग छेड़ दी।

स्वच्छता की अग्रदूत बनीं महिला प्रतिनिधि

महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर चला रहीं मुहिम

मीरा देवी

पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा महज एक घोषणा नहीं है बल्कि एक आंदोलन है जिसने महिलाओं को महिलाओं के लिए सोचने, उनका नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान की दी है। आरक्षण के बाद होने वाले चुनावों और उसमें चुनकर आने वाली महिला प्रतिनिधियों के हौसले अब कहीं बुलंद हैं और वे पंचायतों की तस्वीर बदल रही हैं।

मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड की लोमा पंचायत की वार्ड सदस्य 48 साल की मीरा देवी अपनी पंचायत में स्वास्थ्य के मामले में एक चैम्पियन के तौर पर उभरी हैं। लोमा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आता है और यहां मुख्य तौर पर अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। बातचीत के दौरान मीरा ने बताया कि कुछ साल पहले उन्हें सरकारी सहायता प्राप्त एक लीडरशिप प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका मिला था, जहां उन्हें स्वास्थ्य और स्वच्छता मामलों की गहरी जानकारी मिली और इसमें उनकी रुचि बढ़ती गई। उन्होंने इसको लेकर विभिन्न सरकारी योजनाओं और लाभों के बारे में जाना और उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मिशन (NHM) द्वारा जारी फंड के बारे में पता चला। उन्हें बुनियादी संरचनाओं तथा आशा और एएनएम जैसी फ्रंटलाइन वर्करों का महत्व भी समझ में आने लगा।

मीरा बताती हैं, ''एक दिन मैंने स्थानीय स्वास्थ्य उप केन्द्र का दौरा करने का निर्णय लिया। मैं उसकी वास्तविक स्थिति और वहां प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में जानना चाहती थी। जब मैं वहां पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई कि वहां ताला लगा था। मैंने एएनएम को फोन किया तो उसने बताया कि वो गांव में दौरे पर है। आस–पास के परिवारों से पूछताछ करने पर मुझे बताया गया कि उप केन्द्र कभी खुला ही नहीं था और इसलिए अब लोगों ने भी यहां आना छोड़ दिया है।'' मीरा हैरान थी, मगर परेशान नहीं। उन्हें पता था कि पंचायत के पास एक फंड होता है जिसका इस्तेमाल कामकाज को फिर से शुरू करने के लिए किया जा सकता है। हर साल एनएचएम 10 हजार रुपए पंचायत और एएनएम के संयुक्त खाते में ट्रांसफर करता है। इसे उप केन्द्र में लगाया जा सकता था। कुछ समय बाद मुखिया द्वारा आहूत एक बैठक में मीरा ने गांव के स्वास्थ्य उपकेन्द्र में मूलभूत सुविधाओं, जैसे कि परीक्षण टेबल, ब्लड प्रेशर मशीन, वजन मापने की मशीन और फर्नीचर की मांग को मुखर तरीके से सामने रखा। मीरा की मुहिम रंग लाई और अनुमोदन मिलने के सिर्फ एक सप्ताह के भीतर ही उप केन्द्र फिर से चलने लगा। अब हर सोमवार महिलाओं और बच्चों की वहां जांच की जाती है। सुक्ला देवी और राकेश कुमार जैसे ग्रामीण स्वास्थ्य उप केन्द्र खुलने से बहुत खुश हैं और अब उन्हें 8 किलोमीटर दूर पीएचएस में जाने की जरूरत नहीं होती है। मीरा देवी ने अपने इस अनुभव को दूसरे पंचायतों में भी साझा किया और उसका परिणाम ये है कि आज गायघाट प्रखंड के 23 स्वास्थ्य उप केन्द्रों में से 10 पूरी तरह से चालू हालत में हैं और सभी सुविधाओं से लैस हैं।

मंजू देवी

सावित्री देवी

जहां एक ओर, गायघाट प्रखंड की पंचायतों में मीरा देवी ने स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर एक मुहिम छेड़ रखी है, तो वहीं सीतामढ़ी जिले के डुमरा प्रखंड की मधुबन पंचायत की वार्ड सदस्य 45 साल की मंजू देवी ने भी अपने क्षेत्र की लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए आवाज उठायी है। लड़कियों और महिलाओं की सेहत के लिए फिक्रमंद मंजू देवी को अच्छे से पता है कि लड़कियों में स्वच्छता की अच्छी आदतों के प्रचलन से ही उनका स्वास्थ्य बेहतर और परिवार व समाज का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। अपने पंचायत में वे लड़कियों को साफ रहने, माहवारी के दिनों में अपना ख्याल रखने और सेनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करने और उसके निबटान के सही तरीकों के बारे में बताती हैं। इसके अलावा मंजू देवी का फोकस लड़कियों के संतुलित और पोषक आहार पर भी है। वे कहती हैं कि स्कूलों में संतुलित मीड डे मील उपलब्ध करवाने और महिलाओं के बीच समय–समय पर आयरन और फोलिक एसिड के वितरण से इस क्षेत्र में मां और बच्चों के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

मंजू देवी कहती हैं, ''मैंने उस दिन अपने आप को एक सशक्त नेता के रूप में पाया, जिस दिन मैंने स्कूलों में सेनिटरी नैपकिन के निःशुल्क वितरण के लिए प्रखंड शिक्षा अधिकारी को अपने साथ बैठक करने के लिए विवश कर दिया। ये लड़कियों के स्वास्थ्य और उनकी निजता की सुरक्षा का सवाल था। मुझे मालूम था कि कैसे माहवारी शुरू होने के साथ ही लड़कियों को स्कूल और पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता था; कम से कम ये एक ऐसा रास्ता था जिससे लड़कियों के स्कूलों से ड्रॉप आउट को रोका जा सकता था।'' इसके अलावा, मंजू देवी मीड डे मील पर भी कड़ी निगाह रखती हैं।

मंजू और मीरा देवी की तरह ही औरंगाबाद जिले के दाउदनगर प्रखंड की मनार पंचायत की सदस्य सावित्री देवी भी अपने क्षेत्र की लड़कियों के स्वास्थ्य और जागरूकता के लिए समर्पित हैं। उनका पूरा जोर लड़कियों के समुचित आहार और उनके व्यक्तिगत हाइजीन पर है। सावित्री देवी कहती हैं कि मैं ये सुनिश्चित करती हूं कि स्वास्थ्य उप केन्द्र के दरवाजे हर किसी के लिए खुले रहें। खासकर लड़कियों को परामर्श देने की कोशिश की जाती है। उन्हें स्वच्छता के उपायों के साथ–साथ बाल विवाह और जल्दी गर्भ धारण करने के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाता है। इससे उन्हें अपने लिए सही राह चुनने में सहायता मिलती है।

जिस राज्य में केवल 34 प्रतिशत महिलाएं ही प्रसव बाद की देखभाल प्राप्त कर पाती हैं और महज 22 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव का लाभ मिल पाता है, वहां मीरा, सावित्री और मंजू जैसी महिला जनप्रतिनिधि औरतों के अधिकारों की रक्षा के लिए हर सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक बाधाओं को तोड़ने में जुटी हैं।

चित्र और आलेख साभारः www.thebetterindia.com

सशक्त नेतृत्व की ओर बढ़ रहे कदम

महिलाओं के नेतृत्व वाली बिहार की पंचायतों को मिले कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान

चाइल्ड फ्रेंडली अवार्ड पाने वाली कुटुम्बा पंचायत और मुखिया सावित्री देवी

साल 2020 में हर क्षेत्र में बेहतर करने के मामले में जिले का कुटुम्बा पंचायत पूरे सूबे में अव्वल आया था। केन्द्र सरकार ने कुटुम्बा पंचायत को चाइल्ड फ्रेंडली अवार्ड दिया। बड़ी बात ये थी कि इस पंचायत की बागडोर महिला मुखिया सावित्री देवी के हाथों में थी। देश भर से दो लाख 50 हजार पंचायतें इस प्रतियोगिता में शामिल थीं। इसके लिए कई मानक तय किए गए थे। कुटुम्बा पंचायत सभी मानकों पर खरा उतरा। लिहाजा केन्द्र सरकार ने बिहार के एकमात्र कुटुम्बा पंचायत को विजेता के श्रेणी में शामिल करते हुए अवार्ड घोषित किया। अब जिले के सभी 11 प्रखंडों में कुटुम्बा पंचायत के अनुभवों को साझा कर वहां पर भी इन कार्यक्रमों की शुरूआत की जा रही है।

प्रखंड के बीडीओ सह सीडीपीओ ने बताया कि ओडीएफ अभियान के दौरान सुबह–सुबह जब वे भ्रमण पर निकलते थे, तो इस दौरान उन्होंने कुटुम्बा में बच्चों द्वारा अपने माता–पिता को शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित करते देखा। इसके बाद बीडीओ ने पंचायत की मुखिया कुमारी सावित्री सिंह के साथ मंथन कर कहा कि यहां पर हर योजनाओं को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। ऐसा होने पर पंचायत में बड़े बदलाव नजर आ सकते हैं। फिर प्लानिंग के तहत काम शुरू की गई। सरकारी सुविधाओं का लाभ हर जरूरतमंदों तक मॉनिटिरिंग करके दी जाने लगी। बच्चों के बीच चॉकलेट, बिस्कुट व पोषण की सामग्री दी गई। शाम में बच्चों के बीच निशुल्क पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध करायी गई।

मुखिया सावित्री सिंह ने कहा कि पूरा कुटुम्बा प्रखंड मेरे लिए एक कुटुम्ब के समान ही था। कानपुर में पढ़ी–लिखी स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त सावित्री देवी अपने गांव के लोगों के लिए कुछ करना चाहती थीं। अब तक लोग उन्हें टीचरजी के नाम से जानते थे। 2016 के पंचायत चुनाव में उन्हें मौका मिला। वो मानती हैं कि बिहार सरकार द्वारा लागू 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ उन्हें मिला और उसी की बदौलत वे आज नेतृत्व के पद पर हैं। बच्चों के लिए काम करने पर जो पुरस्कार उन्हें मिला है इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। गांव में बच्चों की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य पर खास ध्यान दिया जाता है। एक बार दाखिला ले लेने के बाद उनके स्कूल नहीं छोड़ने पर नजर रखी जाती है। उन्हें कुपोषण से बचाने के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों को सशक्त बनाया गया है। बच्चों में सांस्कृतिक और मानसिक गतिविधियों के प्रति रुझान को बढ़ाया जा रहा है।

मिला सम्मान

इसी तरह, 2020 में ही समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड के मोतीपुर पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा पुरस्कार देने की घोषणा हुई। रोसड़ा प्रखंड के मोतीपुर पंचायत की मुखिया प्रेमा देवी और उनके पति रंजीत साहनी इस सम्मान को पूरी पंचायत के लोगों का सम्मान बताते हैं। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा पुरस्कार के लिए बिहार से केवल रोसड़ा प्रखंड के मोतीपुर का नाम ही आया था। मुखिया प्रेमा देवी के लिए यह सम्मान अप्रत्याशित नहीं था। वो कहती हैं कि पंचायत में जितना काम हुआ है, उसके आधार पर हमें कोई न कोई श्रेणी में सम्मान मिलना तय ही था। प्रेमा देवी ने बताया कि 2016 में जब वे मुखिया बनी थीं तो उनके मन में भय था लेकिन पति और परिवार वालों के सहयोग से उन्होंने पंचायत के हर वर्ग के लोगों के साथ मिलकर काम किया है। गांव में घर–घर नल–जल, बिजली, रसोई गैस सहित सभी सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य किया है। उन्होंने बताया कि वह पंचायत की हर महिला के उत्थान एवं आत्मबल को बढ़ाने को लेकर लगातार कार्य करतीं आ रहीं हैं। आगे भी इसी तरह का विकास कार्य करती रहेंगी। उनका एक ही लक्ष्य है कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पंचायत के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने में कोई कसर न छूटे।

मुखिया प्रेमा देवी ने कहा कि पुरस्कार में मिली राशि को पंचायत के विकास पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस राशि से पंचायत में एक प्रवेश द्वार और एक निकास द्वार बनाया जाएगा। उसके बाद एक पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी, जिसकी मदद से पंचायत सरकार भवन में लिए गए फैसलों के बारे में पंचायतवासियों को बताया जाएगा। उन्होंने बताया कि उसके बाद पंचायत में जगह–जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी योजना है। पंचायती राज मंत्रालय की ओर से दिया जाने वाला नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार पंचायत में बेहतर काम करने के लिए दिया जाता है। इस सम्मान ने पंचायतों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को मजबूत तरीके से सामने रखा है।

नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा पुरस्कार पाने वाली प्रेमा देवी।

समस्तीपुर जिले का मोहनपुर पंचायत अब देशभर में जाना जा रहा है। इस पंचायत की मुखिया खुशबू कुमारी ने बच्चों को शिक्षित करने और घरेलू हिंसा के प्रति लोगो में चेतना जगाने के लिए जो कार्य किये उससे पंचायत को देशभर में एक अलग पहचान मिल गयी। मुखिया खुशबू कुमारी के नेतृत्व में हुए विकास के कार्य और जनचेतना जगाने में किये गये सराहनीय काम के लिए मोहनपुर पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। इसकी सूचना मिलते ही समस्तीपुर जिले के मोहनपुर पंचायत के लोग अपने को गौरवांवित महसूस कर रहे हैं।

मोहनपुर की मुखिया खुशबू कुमारी समस्तीपुर जिला मुखिया संघ की अध्यक्ष हैं। खुशबू कुमारी ने इस उपलब्धि का श्रेय पंचायत की जनता को दिया है। मुखिया ने बताया कि स्वर्गीय अखिलेश राय के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिये वह मुखिया बनीं। उनके कामों से मिली प्रेरणा के कारण ही वह अपनी पंचायत को देशभर में पहचान दिलाने में सफल हो पायीं। यह पुरस्कार मोहनपुर की जनता को समर्पित है। यह पुरस्कार वर्ष 2019 से 2020 में पंचायत में किए गए बेहतर कार्यों के लिए पंचायत को दिया जाएगा। पंचायत में नल जल योजना के अलावे बच्चों को साक्षर बनाने के लिये लगातार जागरूकता अभियान चलाया गया। प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री देते हैं। पुरस्कार मिलने की जानकारी मिलने पर पंचायत के लोगो में खुशी का माहौल है।

दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाली मुखिया खुशबू कुमारी

मिला सम्मान

दरभंगा के केवटी प्रखंड के असराहा पंचायत की मुखिया साजरा परवीन को ग्राम पंचायत में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 2021 का दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सश. क्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के लिए पूरे दरभंगा में केवटी प्रखंड की असराहा पंचायत की यह एकमात्र मुखिया हैं, जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ति पत्र और पंचायत के विकास के लिए एक एकमुश्त राशि भी दी गई है। असराहा पंचायत का चयन इस पुरस्कार के लिए पंचायत को खुले में शौचमुक्त कराने और कोरोना काल मे सेनेटाइजेशन आदि के लिए दिया गया।

यह पुरस्कार पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर दिल्ली में दिया जाना था, लेकिन देश में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार बढ़ोतरी होने के कारण यह प्रधानमंत्री की वर्चुअल उपस्थिति में दिया गया। पंचायत के लोगों में प्रसन्नता राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर प्रसन्नता है। पंचायत एवं जिले के विभिन्न हिस्सों के लोगों ने इसके लिए मुखिया साजरा परवीन एवं उनके प्रतिनिधि खुर्शीद आलम को बधाई दी है। लोगों का कहना है कि उनके कार्यकाल में पंचायत के विकास के हर क्षेत्र में काफी कार्य हुआ है। यह पुरस्कार पाकर मुखिया साजरा परवीन काफी खुश हैं। उन्होंने बताया, ''उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि भारत सरकार की तरफ से उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। अपने कर्तव्यों के पालन के साथ पंचायतवासियों की सेवा में दिन–रात लगी रहती थी। आज सेवा का ही फल है कि मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार मिलने से मेरा हौसला और बढ़ गया। मन लगाकर मैं पंचायत के विकास का कार्य करूंगी।''

गया ज़िले के अति नक्सल प्रभावित इमामगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत बिकोपुर की महिला मुखिया मेहरे अंगेज़ खानम के बेहतर कार्य को देखते हुए उन्हें दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार 2022 से प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष ग्रामसभा के दौरान सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए प्रत्येक स्तर पर पंचायती राज संस्थानों द्वारा किए गए अच्छे कार्य की मान्यता के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले पंचायतों (जिला, मध्यवर्ती और ग्राम पंचायत) को दिया जाता है। मुखिया के प्रतिनिधि रियासत नवाज़ बताते हैं कि ग्राम पंचायत बिकोपुर का नेतृत्व उन्होंने तीन बार समिति सदस्य बनकर किया। जब पंचायत की सीट जनरल हुई तो 2016 में उन्होंने मुखिया का चुनाव लड़ा। तब हमें ग्राम पंचायत बिकोपुर की जनता ने अपार बहुमत से विजय बनाया। श्री नवाज कहते हैं कि मुखिया मेहरे अंगेज ने अपने पांच साल के कार्यकाल में बुनियादी सुविधाओं पर काम किया, जो हमारे पंचायत की उपलब्धि है। उन्होंने कहा की 2021 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी जनता ने उनकी वापसी सुनिश्चित कराई। अब पूरा फोकस आगे का काम करने पर है और हमारा लक्ष्य दवाई, पढ़ाई और सिंचाई पर काम करने का है। साथ ही सर्वसम्मति से कई योजनाएं स्वीकृत हुई। स्वास्थ केंद्र निर्माण, खेल मैदान और बिकोपुर के मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में तब्दील किया गया।

दरभंगा के केवटी पंचायत की महिला मुखिया नासरा बेगम को वर्ष 2020 में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नासरा बेगम को यह पुरस्कार भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मिला, जिसमें उन्हें न सिर्फ एक मोमेंटो दिया गया, बल्कि एक प्रशस्ति पत्र के अलावा पंचायत के विकास के लिए पांच लाख रुपये भी अलग से दिए गए। इस पुरस्कार की महत्ता इसलिए और भी ज्यादा बढ़ गई है कि यह पुरस्कार पूरे बिहार में पंचायत स्तर पर बेहतर काम के लिए किसी एक मुखिया को दिया गया है। दरअसल इनाम पाने वाली महिला मुखिया ने अपने कर्तव्य के साथ ही जनता की सेवा करके पंचायत स्तर पर अपने राजस्व को बढ़ावा देकर उससे होने वाली आमदनी से पंचायत का विकास किया है। पंचायत की आमदनी बढ़ाने के लिए पंचायत में पड़ने वाले तालाबों की नीलामी के साथ ही गांव के हाट बाजारों की बन्दोबस्ती कर लाखों रुपये के राजस्व को बढ़ाया और इससे होने वाली आमदनी को गांव के विकास के काम में लगाया।

50% महिला आरक्षण: पहचान से सम्मान तक

बिहार सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए मुखिया पतियों के बैठकों में आने पर रोक लगा दी है। बिहार में महिलाओं को पंचायत चुनावों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। हालांकि जब शुरू–शुरू में महिला जनप्रतिनिधि चुनकर आईं तो उनमें एक प्रकार की झिझक थी और वे पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठकों में न तो शामिल हो पाती थीं और न ही योजनाओं के क्रियान्वयन में रुचि ही ले पाती थीं। अक्सर महत्वपूर्ण बैठकों में उनकी जगह पर उनके पति या फिर कोई पुरुष प्रतिनिधि मौजूद होता था। लेकिन समय बीतने के साथ ही महिला जन प्रतिनिधियों के आत्मविश्वास और कार्य कौशल में आमूलचूल सुधार आता गया है।

महिला जनप्रतिनिधियों को अपने दम पर काम करने और फैसला लेने में सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार हमेशा से प्रयासरत रही है। यही कारण है कि अब सरकार ने ये फरमान जारी कर दिया है कि किसी भी बैठक में महिला जनप्रतिनिधियों के पति या कोई अन्य प्रतिनिधि शामिल नहीं होंगे। सरकार ने इस आदेश का सख्ती से पालन करने को कहा है ताकि महिला जनप्रतिनिधि बैठकों में खुद आएं और अपने गांव–पंचायत की समस्याओं को दूर करने के लिए मौजूद सरकारी योजनाओं को समझें और उन्हें लागू कर विकास की मुख्यधारा में शामिल रहें। इसके साथ–साथ माना यह भी जा रहा है कि सरकार ने महिला मुखियाओं के पतियों पर नकेल लगाने के लिए यह आदेश जारी किया है, ताकि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के लिए जो महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुई हैं, उनकी जगह पर कोई अन्य व्यक्ति बैठक में शामिल नहीं हो सके और महिलाएं अपने अधिकारों और कर्तव्यों को ठीक ढंग से पूरा कर सकें।

यद्यपि कि सरकार ने महिला जनप्रतिनिधियों के हित में ये आदेश जारी किए हैं, फिर भी यह जान लेना जरूरी है कि महिलाएं पहले ही अपने अधिकारों के प्रति सजग हो चुकी हैं। बिहार में अब महिला जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में स्वयं भागीदारी करने लगी हैं और योजनाओं एवं उनके कार्यान्वयन में दिलचस्पी लेने लगी हैं। 2006 में पहली बार पंचायतों में चुन कर आई महिला जनप्रतिनिधियों में जो एक झिझक थी वो अब नहीं है। वे कहीं अधिक निडर और आत्मविश्वास से लबरेज हैं। 'मुखिया पति' की अवधारणा अब कहीं–कहीं ही दिखती है, और उसे भी दूर करने के लिए सरकार कमर कस चुकी है। महिला जनप्रतिनिधि बैठकों में स्वयं भाग ले रही हैं, न कि उनके प्रतिनिधि के तौर पर उनके कोई रिश्तेदार या पति। हाल ही में पटना में हुई एक बैठक में बड़ी संख्या में महिला जनप्रतिनिधि उपस्थित रहीं। उन्होंने न केवल हिस्सा लिया बल्कि प्रश्न पूछने में भी वे आगे रहीं। इसी तरह केन्द्र सरकार की ओर से जनप्रतिनिधियों के योगदान के लिए दिए गए सम्मान में 12 में से 6 सम्मान महिला जनप्रतिनिधियों को मिला। महिला नेतृत्व में आए इस आत्मविश्वास का प्रभाव दूसरी आम महिलाओं और लड़कियों पर भी पड़ा है और वे भी उचित मंचों पर अपनी बातों को रखने में पहले से अधिक मुखर हुई हैं।

राज्य सरकार का अहम फैसला

महिलाओं के पंचायतों में चुन कर आने से लोगों को शिक्षा का महत्व समझ आने लगा है। खासकर महिलाएं अपनी बेटियों को स्कूल भेजने को लेकर जागरूक हो रही हैं क्योंकि उनके सामने आदर्श के तौर पर वे महिलाएं होती हैं जो उसी गांव से जनप्रतिनिधि बनकर अपने दायित्व को निभा रही हैं। इतना ही नहीं पढ़ी–लिखी महिलाएं अब पंचायत चुनावों में अधिक संख्या में भाग ले रही हैं। कई महिलाओं के पास पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक की डिग्री भी है। कई स्थानों पर यह भी देखा गया है कि दूसरे जिलों और राज्यों में नौकरी कर रहीं या पढ़ाई कर रही औरतें अपने गांव आकर पंचायत चुनाव में हिस्सा ले रही हैं और जनप्रतिनिधि बनकर अपने गांव के उत्थान में योगदान कर रही हैं। उनमें योजनाओं की समझ है और वे गांव के अधिकारों और जरूरतों को लेकर पहले से कहीं अधिक जागरूक हैं।

चित्रणः इक्विटी फाउंडेशन

सबसे बड़ा फर्क योजनाओं के कार्यान्वियन और उनकी निगरानी में आया है। बालिका शिक्षा और बालिकाओं एवं स्त्रियों के कल्याण के लिए बनाई गईं सरकारी योजनाओं का कार्यान्यवन तब और बेहतर तरीके से होता है जब निर्णय लेने के स्तर पर खुद महिलाओं की उसमें भागीदारी होती है। और पंचायतों में महिलाओं के अधिकाधिक संख्या में चुनकर आने और इतने सालों के बाद उनमें आए आत्मविश्वास के बाद योजनाओं का कार्यान्यवन कराने में वे खुद आगे बढ़कर हिस्सा लेती हैं।

इसके बाद निगरानी के स्तर पर भी वे कहीं अधिक जागरूक और सशक्त हो गई हैं जिसके कारण योजनाओं में गड़बड़ी की गुंजाइश बहुत कम हो गई है। आंगनबाड़ी के तहत चल रहे कार्यक्रमों की भी अब वे खुद निगरानी करती हैं, केन्द्रों का दौरा करती हैं और कार्यक्रमों के तहत प्राप्त सुविधाओं का नियमित तौर पर जायजा लेती हैं। इसका सीधा असर बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी पढ़ाई पर होता है। इसके साथ–साथ गांवों में बाल विवाह पर रोक और नशाबंदी जैसी योजनाओं को लागू करने में भी सफलता मिली है। महिला जनप्रतिनिधि स्वयं हस्तक्षेप करते हुए दोनों पक्षों को समझाती हैं और फिर न केवल बाल विवाह को होने से रोकती हैं बल्कि उन बच्चों को शिक्षित करने पर भी जोर देती हैं। इसी तरह नशाबंदी अभियान को सफल बनाने में भी महिला मुखिया और सरपंचों की महती भूमिका देखी गई है। ये सर्वविदित है कि बिहार में नशाबंदी अभियान को लागू करवाने में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है क्योंकि घर के पुरुषों के नशे की लत से प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी आबादी औरतों की ही होती है। ऐसे में महिला जनप्रतिनिधियों के होने से नशे की लत पर लगाम लगा पाना ज्यादा आसान हो गया। औरतें अपनी मुखिया–सरपंच से अपनी बात ज्यादा अच्छी तरह से कह पाती हैं और एक औरत होने के नाते उनकी मुखिया–सरपंच उनकी शिकायतों पर कार्रवाई भी तेजी से करती हैं।

पंचायतों में महिलाएं सीमाएं और संभावनाएं

अब जबकि महिलाएं पंचायतों में आ चुकी हैं, उनकी उपस्थिति और भागीदारी धीरे–धीरे ही सही जगह बनाने लगी है। ये कहा जा सकता है कि इस सामाजिक क्रांति को निर्णय लेने के हर स्तर तक पहुंचाने की नींव डाली जा चुकी है। भले ही संसद में औरतें केवल 6.7 प्रतिशत सीटों पर ही मौजूद हैं, लेकिन महिलाओं के नेतृत्व वाली पंचायतों से जो आवाज उठ रही है, उसकी गूंज निश्चित रूप से देश के सर्वोच्च सदन में भी जरूर सुनाई देगी। पंचायतों में महिलाओं के निर्णय के स्तर तक पहुंचने का सबसे बड़ा प्रभाव उन सामाजिक मिथकों के टूटने में देखा गया है जो आज तक लोगों को भ्रमित करते आ रहे थे। जिन्होंने औरतों के केवल एक डमी के तौर पर काम करने की उम्मीद जताई थी, उन्हें अब निराशा होने लगी है। औरतें सामने आ रही हैं, अपना काम खुद संभाल रही हैं। हालांकि कुछ स्थानों पर स्थिति अब भी उतनी नहीं सुलझी है। औरतों ने चुनाव तो जीत लिया है लेकिन अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं हो पाई हैं। इन स्थानों पर और काम करने की जरूरत है, उन्हें शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों से लैस करने की आवश्यकता है।

बिहार के नवादा जिले की ममता देवी तीन बार ग्राम प्रधान रह चुकी हैं और साल 2021 में हुए पंचायत चुनावों में उन्हें पौरा पंचायत सीट पर हार का सामना करना पड़ा। ममता देवी साल 2006 और 2011 में नवादा ब्लॉक के कादिरगंज पंचायत से मुखिया रहीं। उसके बाद 2016 और 2021 में उन्होंने पौरा पंचायत से चुनाव लड़ा। ममता देवी के कार्यकाल के दौरान उनके कादिरगंज स्थित आवास के निचले तले पर एक कार्यालय बनाया गया था जहां पंचायत के लोग अपनी मुखिया से मिलने आते थे। हालाँकि इस कार्यालय में उनके पति श्रवण कुमार की एक तस्वीर टंगी दिखती है। अंदर के दो कमरों में श्रवण कुमार को मिले कुछ सम्मान सजा कर रखे गए हैं। लेकिन ममता देवी की एक तस्वीर तक नजर नहीं आती है।

यह उदाहरण इस बात को दर्शाता है कि इस आरक्षण के लागू होने के 15 साल बाद भी एक महिला मुखिया के लिए निर्णायक की भूमिका में काम कर पाने के रास्ते में कई समस्याएं हैं। ममता देवी ने बहुत ही धीमे स्वर में बताया कि किसी अन्य ग्रामीण महिला की ही तरह उनकी शादी भी 16–17 साल की उम्र में हो गयी थी। इस बार के चुनाव प्रचार के बारे में बताते हुए वह कहती हैं, ''प्रचार के समय 'मुखिया जी' (श्रवण कुमार) देर से घर लौटते थे। मैं तो इस बार केवल एक दिन ही प्रचार में बाहर निकली।'' वो कहती हैं, ''जब मैं मुखिया थी तब नीचे कार्यालय से कोई आदमी पेपर लेकर ऊपर आता था और मैं साइन करके दे देती थी।'' पंद्रह साल तक मुखिया रहीं ममता देवी मानती हैं कि सरकारी स्कीमों की जानकारी उनके पति को ज्यादा है। वो कहती हैं कि बाहर

जाने का मन करता है, लेकिन कैसे जाएं। ममता देवी के पति श्रवण कुमार कहते हैं, ''देहात की औरत क्षेत्र में घूमना नहीं चाहती है। माइक पर बोल भी नहीं सकती है। हम लोग को भी कोई शौक़ नहीं है परिवार की महिला को सड़क पर घुमाने का। दस बार बोलेंगे तो एक बार किसी के साथ कहीं जाएगी।'' कुमार के अनुसार राजनीति एक 'गंदी चीज़' है जिसमें वे आ गए हैं लेकिन परिवार को इससे दूर रखना चाहते हैं।

नवादा जिले के ही बहेरा गाँव की मुखिया सीट साल 2016 से अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित है। साल 2021 के चुनावों में इस सीट पर मुसहर समुदाय से आने वाली निर्मला देवी ने जीत हासिल की। निर्मला देवी ने 2016 के चुनाव में जीतने वाली अमरीका देवी को हराकर जीत हासिल तो की लेकिन इन दोनों उम्मीदवारों में एक समानता यह है कि इन दोनों को ही ''डमी कैंडिडेट'' के रूप में खड़ा किया गया था। निर्मला देवी की जीत के पीछे अहम व्यक्ति रहे अरुण कुमार बताते हैं, ''निर्मला को चुना गया क्योंकि ये सीधी है। जो बोलेंगे सुनेगी।'' हालाँकि, निर्मला देवी के चुनाव जीतने के बाद उनके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाई देता है। वह पहले गाँव के बाहर रहती थीं लेकिन अब जीतने के बाद गांव के अंदर रहने लगी हैं। यहां उनके समुदाय के लगभग 150 घर हैं।

चित्रणः इक्विटी फाउंडेशन

अशिक्षा और वित्तीय असुरक्षा बड़ी वजह

महिलाओं के पंचायत स्तर की राजनीति में आरक्षण के बावजूद आगे न बढ़ पाने के पीछे की कुछ मुख्य वजहों में अशिक्षा, कम उम्र में विवाह और वित्तीय असुरक्षा शामिल हैं। इन कारणों के चलते निर्वाचित होने के बावजूद महिलाएं सार्वजनिक जीवन में काम करने का आत्मविश्वास नहीं जुटा पाती हैं। किशनगंज, मधुबनी, वैशाली, पूर्वी चंपारण में इक्विटी फाउंडेशन द्वारा की गई स्टडी के मुताबिक 15–19 साल की 46 प्रतिशत महिलाएं विवाहित हैं। करीब 59 प्रतिशत महिलाएं जो स्टडी के समय 45–49 वर्ष की थीं की शादी 15 साल की उम्र से पहले कर दी गयी थी। केवल 20 प्रतिशत महिलाओं को घर से बाहर बाज़ार या किसी रिश्तेदार के यहां जाने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी स्थिति में औरतों के नेतृत्व के पद पर आ जाने भर से हालात बदलना मुश्किल है। चुनी हुई महिला जनप्रतिनिधियों को उनके जेंडर, घरेलू जिम्मेदारियों, और खराब वित्तीय एवं डिजिटल शिक्षा के कारण निर्णय के स्तर से बाहर माना जाता है। नई जनप्रतिनिधियों में सूचना और प्रबंधन के अनुभव की कमी की समस्या चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि एक चुने हुए सदस्य के तौर पर उनसे क्या अपेक्षाएं की जाती हैं और यहीं से उनके घर के मर्द सदस्य उनके काम अपने हाथ में लेने लगते हैं। सेंटर फॉर केटेलाइज़िंग चेंज की एक स्टडी का हिस्सा रहीं महिला पंचायत प्रतिनिधियों में से 77 प्रतिशत को लगता था कि उनके मतदान क्षेत्र में कुछ ख़ास बदलाव करने में वे सक्षम नहीं हैं। वहीं अधिकतर प्रतिभागियों का मानना था कि घरेलू हिंसा की पुलिस से शिकायत करने पर घर की 'शांति' भंग होती है। इसके बाद भी महिलाएं चुनाव लड़ने के प्रति इच्छुक और उत्साहित दिखती हैं जो अभूतपूर्व है।

दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के समाजशास्त्र विभाग से पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण और महिला सश. क्तिकरण पर शोध कर रही शिवांगी पटेल कहती हैं, ''आप प्रधान से मिलने जाएंगे तो पहले उनके पति या ससुर या भाई से मिलना होगा। बहुत कहने पर महिला जो जनप्रतिनिधि है उनसे आपको मिलवाया जाएगा।'' शिवांगी की स्टडी के अनुसार मुखिया का काम जहां लोगों के साथ घर के बाहर काम करना है, लोगों की जरूरत और सरकार की स्कीम के बीच तालमेल क़ायम करना है, वह बिना ट्रेनिंग होना असंभव है। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी जितनी न्यूनतम है उसे देखते हुए सरकार को उचित ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। कई बार जो महिलाएं ठीक–ठाक आर्थिक बैकग्राउंड से आती हैं, परिवार का पॉलिटिकल बैक–अप है, जो ठीक–ठाक पढ़ीं लिखीं हैं वे अच्छा काम कर लेती हैं।

नई तकनीकों से अनभिज्ञता महिला पंचायत प्रतिनिधियों के काम करने के तरीकों को बाधित करती है। उदाहरण के लिए, कोविड के समय उनसे डिजिटल साक्ष्यों की अपेक्षा की जाती थी, जैसे कि मास्क की तस्वीर, सैनिटाइजर के वितरण इत्यादि की। लेकिन केवल 63 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधियों के पास ही फोन उपलब्ध था जबकि स्मार्ट फोन तो केवल 24 प्रतिशत के पास था। यह बड़े पैमाने पर डिजिटल निरक्षरता के बारे में दिखाता है, जहां आम तौर पर मोबाइल इंटरनेट के प्रति जागरूकता की दर महिलाओं में बहुत कम है, खासकर ग्रामीण इलाकों में।

साभारः indiaspendhindi.com/www.downtoearth.org.in/ www.ipeglobal.com

सशक्त पंचायत, समर्थ बिहार

पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य है। पिछले साल हुए पंचायत चुनाव में महिलाओं के आरक्षित पद पर पांच से 10% अधिक महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। ऐसे निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों में 80 से 85% नए चेहरे हैं और सरकार अब इन्हें गांव के विकास की जिम्मेवारी सौंपने वाली है। इसके लिए निर्वाचित 2,47,656 पंचायत प्रतिनिधियों के उन्मुखीकरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बिहार पंचायत चुनाव 2021 में कुल 11 चरणों में हुए चुनाव में 6 पदों पर एक साथ कुल 2,47,656 पंचायत प्रतिनिधि चुने गए। इसमें ग्राम पंचायत मुखिया 8,067, ग्राम पंचायत सदस्य 1,09,634, पंचायत समिति सदस्य 11,094, जिला परिषद सदस्य 1,160, सरपंच 8,067 और पंच 1,09,634 हैं।

चित्रण: इक्विटी फाउंडेशन

पंचायती राज विभाग के अनुसार मुखिया और सरपंच को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई है। मुखिया को अपने कार्य क्षेत्र में 1 वर्ष में कम से कम 4 बैठकें आयोजित करनी होगी। बैठक के अलावा मुखिया के पास ग्राम पंचायतों के विकास की कार्य योजना बनाने का अधिकार है और विभिन्न प्रस्ताव को लागू करने की जवाबदेही भी मुखिया पर है। इसके साथ ग्राम पंचायतों के लिए तय किए गए टैक्स चंदे और अन्य शुल्क की वसूली के इंतजाम भी करने की जिम्मेवारी है। वहीं, पंचायती राज व्यवस्था में सरपंच को 3 अधिकार दिए गए हैं। ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने का अधिकार और उसकी अध्यक्षता करना है। ग्राम पंचायत की कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां भी सरपंच के पास ही है। गांव की सड़कों की देखभाल, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना, सिंचाई की व्यवस्था करना, दाह संस्कार और कब्रिस्तान का रखरखाव करना है। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, जल जीवन हरियाली अभियान, सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना प्रमुख है। पंचायत प्रतिनिधियों की मदद के लिए सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था भी की है। 8067 पंचायतों में से 7829 पंचायत में कार्यपालक सहायक पदाधिकारी की नियुक्ति की है। शेष में जिला पदाधिकारी की ओर से व्यवस्था की जाएगी। चार पंचायत पर एक तकनीकी सहायक और चार पंचायत पर एक लेखापाल आईटी सहायक की व्यवस्था की जा रही है। पंचायतों के नियमित निरीक्षण के लिए प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाकर 716 कर दी गई है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए बिहार पंचायती राज अभियंत्रण संगठन का गठन किया गया है और 1314 पदों पर अभियंता की नियुक्ति की जानी है। 3161 पंचायत सचिव की व्यवस्था की गई है। 8795 लिपिकों की भी व्यवस्था की जा रही है। पंचायतों में विकास योजना का सही ढंग से संचालन के लिए कई तरह के अन्य कर्मचारियों की भी नियुक्ति की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में त्रिस्तरीय पंचायतों को जो राशि मिलनी है, वह इस प्रकार से है– वित्तीय वर्ष 2022–23 के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के तहत डेढ़ सौ करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। सुशासन के कार्यक्रम 2020–25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार सात निश्चय कार्यक्रम के तहत स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के अंतर्गत सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए 200 करोड़ की राशि की व्यवस्था वित्तीय वर्ष में की गई है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत 2022–23 में भारत सरकार से प्राप्त अनुदान के रूप में 3842 करोड़ की राशि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किए जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली अनुदान की कुल 904.47 करोड़ रुपए पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराना है। छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2022–23 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को कुल 3142 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है।

सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम दे रहे संबल

महिला जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा, सम्मान और प्रशिक्षण पर जोर

ग्राम पंचायतों में महिलाओं को नेतृत्व के पदों पर लाना और उन्हें सामाजिक–राजनीतिक सुधार तथा निर्णय लेने के स्तर तक पहुंचाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। बिहार पूरे देश में पहला राज्य रहा जिसने न केवल महिलाओं को पंचायत चुनावों में 50 प्रतिशत तक का आरक्षण दिया बल्कि उनके भीतर आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता बढ़ाने के लिए उनके शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए भी काम किया। हाल ही में मुखिया पतियों को बैठकों में भाग न लेने के राज्य सरकार के फैसले ने महिला जनप्रतिनिधियों को स्वाबलंबी बनाने और उन्हें अपनी आवाज बुलंद करने के लिए बड़ा अवसर दिया।

देश हो अथवा राज्य, दोनों ही स्तरों पर पंचायतों में चुनकर आ रही महिलाओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों से अवगत कराने के लिए समय–समय पर कई तरह की योजनाओं और कार्यक्रमों को चलाया जाता रहा है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना, पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान, पिछड़े राज्यों के लिए क्षमता निर्माण आवंटन निधि, और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जैसी योजनाओं से महिला जनप्रतिनिधियों को असीमित लाभ प्राप्त हुए हैं। इन योजनाओं में क्षमता निर्माण को लेकर भी बड़ी शक्ति सन्निहित है। जैसे कि पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान का उद्देश्य है कि महिला पंचायत नेता एक साथ आएं और इन मुद्दों पर बात करें–

1. एक महिला पंचायत नेता होने के नाते अपनी समस्याओं को रखें।
2. अपनी जानकारी के लिए तथा खुद को अपडेट रखने के लिए संस्थागत तंत्रों के बारे में विचार–विमर्श करें।
3. उन मुद्दों के साथ सामने आएं जिन्हें नीति और प्रचार के लिए मुख्यधारा में शामिल किया जा सके ताकि उनकी चिंताओं को राज्य और त्रि–स्तरीय पीआरआई प्रणाली में संबोधित किया जा सके।
4. निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के एक संघ का गठन करें जिसमें कार्यालयीय पद के साथ–साथ जिला और डिवीजन स्तर की प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व हो।

महिला जनप्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण के लिए पंचायती राज मंत्रालय के राष्ट्रीय क्षमता निर्माण फ्रेमवर्क ने प्रतिनिधियों की आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने पर जोर दिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इंजीनियरिंग (सड़क निर्माण, नालों एवं शौचालय के निर्माण) के क्षेत्र में, सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण इत्यादि के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए हैं।

चौदहवें वित्त आयोग के आवंटन के प्रभावी उपयोग के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने मॉडल गाइडलाइन और मैन्युअल विकसित किए हैं ताकि ग्राम पंचायत विकास योजना में समग्र भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अनुरूप, सभी राज्यों ने भी योजना की प्रक्रिया में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी के लिए विशिष्ट दिशा–निर्देश जारी किए हैं। स्वयं सहायता समूह भी महिला जनप्रतिधियों के लिए बहुत सहायक संस्थान सिद्ध हुए हैं। मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर महिला सरपंचों के उन्मुखीकरण के लिए कार्यक्रम का आयोजन भी किया है जो बहुत प्रभावकारी और सहयोगी साबित हुए हैं। इससे न केवल सरपंचों की क्षमता में बढ़ोतरी होती है बल्कि अन्य राज्यों और क्षेत्रों की चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों के साथ एक नेटवर्क का निर्माण भी होता है।

इसके अलावा महिला जनप्रतिनिधियों की पर्याप्त सुरक्षा और सम्मान के लिए भी दिशा–निदेश जारी किए जाते रहे हैं। खासकर उन महिलाओं के लिए जो समाज के कमजोर वर्गों से आती हैं। निगरानी और तंत्र की ऐसी व्यवस्था की जाती है जिससे कि इन महिला जनप्रतिनिधियों को किसी भी प्रकार से नुकसान न पहुंचाया जा सके, उन्हें अपमानित या दुर्व्यवहार नहीं किया जा सके।

साभार: www.pria.org

कारवां जो चल पड़ा, अब न रोका जाएगा

पंचायती राज संस्थाः पंचायत से विधानसभा तक

एक पंचायत प्रतिनिधि से विधायक बनने तक का सफर पूरा करने वाली रेखा देवी की कहानी हमारे राज्य की महिला जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणादायक है। इसमें कोई शक नहीं कि पंचायतों ने देश को कई सशक्त महिला नेतृत्व दिए हैं जिनमें से एक हमारी वर्तमान विधायक रेखा देवी भी हैं। देश के हर कोने में ऐसी महिला नेता मौजूद हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत पंचायत के स्तर पर की थी।

2020 में राजद के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा में कदम रखने वाली रेखा देवी का राजनीतिक करियर भी एक पंचायत जनप्रतिनिधि के तौर पर शुरू हुआ था। बकौल रेखा देवी, ''मैंने 2006 का पंचायत समिति का चुनाव जीता था और पंचायत प्रमुख के तौर पर भी मैं चुनी गई थी। मैंने जमीनी स्तर पर बहुत मेहनत की थी और इसीलिए आज मैं राजनीति की सीढियां चढ़कर यहां तक पहुंच पाई हूं। जब आपको घर में सहयोग मिलता है, तो उसका बड़ा महत्व होता है।''

रेखा देवी बताती हैं कि उन्हें चुनाव लड़ने और अपना काम स्वतंत्र रूप से करने में पति और ससुराल वालों का पूरा सहयोग मिला। कहती हैं, ''जब कोई बाहरी आदमी आपको एक औरत होने के नाते प्रताड़ित करता है, या आपके राजनीतिक सफर में अड़चन पैदा करता है, तो उसके साथ संवाद और उसे समझाने की कोशिश करने से लाभ मिलता है।'' रेखा देवी के मुताबिक, उनके पति ने उन्हें प्रेरित किया। उन्हें राजनीति की समझ थी। रेखा देवी ने उनकी बात सुनी और अपना लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने पति की मदद ली लेकिन राजनीति को लेकर अपने खुद के दृष्टिकोण को आकार दिया। पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण ने उन्हें एक जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने के लिए मजबूती दी और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। एक साक्षात्कार में उन्होंने माना कि महिलाओं के सामने कई चुनौतियां होती हैं। ''मानो जैसे पूरा पुरुषवादी समाज हमारे दृढ़ संकल्प को तोड़ने के लिए एकजुट हो गया हो। लेकिन आपका धैर्य और कड़ी मेहनत आपको कामयाबी दिलाते हैं।'' इस पृष्ठभूमि में बता दें कि हमारी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राजनीतिक करियर की शुरुआत भी एक पंचायत प्रतिनिधि के तौर पर हुई थी।

रेखा देवी, विधायक

मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आईं रेखा देवी अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के लिए एक मिसाल हैं। यदि वे पंचायत से विधानसभा तक का सफर तय कर सकती हैं तो कोई अन्य महिला प्रतिनिधि भी मुख्यधारा की राजनीति से जुड़ सकती है

उनका जन्म उड़ीसा के आदिवासी बहुल गांव ऊपरबेड़ा में हुआ था। उनका विवाह श्याम चरण मुर्मू से हुआ, और उनके दो बेटे और एक बेटी हुई। कालांतर में उनके दोनों बेटों और पति का निधन हो गया। बच्चों और पति का साथ छूटना द्रौपदी मुर्मू के लिए कठिन दौर था लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत उड़ीसा से की और 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में हिस्सा लिया और जीत गईं। इसके बाद उड़ीसा सरकार में वे वाणिज्य और परिवहन स्वतंत्र प्रभार मंत्री रहीं। 2002 से 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्यमंत्री के तौर पर काम किया। उन्होंने उड़ीसा के रायगंज विधानसभा सीट से विधायक का चुनाव भी जीता। बाद में साल 2015 से 2021 तक वे झारखंड की राज्यपाल भी रहीं। वे राज्य की पहली महिला गवर्नर बनीं। रेखा देवी और द्रौपदी मुर्मू जैसी पंचायत प्रतिनिधियों ने उन महिलाओं के लिए रास्ता तय कर दिया है जो पंचायत स्तर पर काम करके भी मुख्यधारा की राजनीति में अपने लिए मुकाम हासिल कर सकती हैं।

लड़कियों और महिलाओं की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है बिहार सरकार

माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है समाज सुधार अभियान: श्री श्रवण कुमार

21 जुलाई, 2022 को गया में समाज सुधार अभियान के तहत जीविका दीदीयों के साथ प्रमंडलस्तरीय घरेलू हिंसा संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, श्री श्रवण कुमार ने महिला एवं बाल विकास निगम की अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्रीमती हरजोत कौर बम्हरा, मगध प्रमंडल के आयुक्त श्री मयंक वरवड़े, गया के जिला पदाधिकारी श्री त्यागराजन एम एस, निगम के परियोजना निदेशक अजय कुमार श्रीवास्तव, उप विकास आयुक्त श्री विनोद दूहन की उपस्थिति में दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में समाज सुधार अभियान हैं। सरकार लड़कियों और महिलायों के बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। घरेलू हिंसा को समाप्त करने के लिए पहले हमें उसके कारण में जाना पड़ेगा। कारण कई हैं– जैसे कि आर्थिक तंगी, शराब पीना, दहेज प्रथा और बाल विवाह के कारण भी घरेलू हिंसा होती है। इसको समाप्त करने के लिए हम सब को मिलकर कार्य करना होगा और इसमें आप सब जीविका दीदीयों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। 2016 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी कानून लागू किया। शराबबंदी जबसे बिहार में हुई है तब से महिला हिंसा में कमी आई है। गया जिले में इसमें काफी बेहतर कार्य हुआ है, गया जिले में 55 फीसदी की कमी हुई है। पूरे राज्य में भी 13 प्रतिशत की कमी हुई है। बिहार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काफी कदम उठाये है, जैसे पंचायत और निकाय चुनाव में 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है और ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य है। बिहार में जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने साइकिल योजना शुरू की। उस समय एक लाख सतर बेटियां पढ़ती थीं, अभी हाल में कोरोना से पहले हमने 9 लाख बेटियों को साइकिल योजना का लाभ दिया

था। आज हम सब यहाँ से संकल्प लेकर जायेंगे कि समाज सुधार में हम सब मिलकर अपनी भूमिका निभाएं।

महिला एवं बाल विकास निगम की अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्रीमती हरजोत कौर बम्हरा ने कहा कि समाज को सुधारना है तो महिलाओं को आगे बढ़ाना होगा। हमें यह सोचना होगा कि समाज उन्हें कितना मूल्यवान समझता है। अगर समाज यह मानेगा कि महिलाएं और लड़कियां मूल्यवान हैं तो समाज की बहुत सी कुरीतियां जैसे भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बिहार में महिलाओं के लिए जो काम किया गया है, वैसा कार्य और किसी राज्य में नहीं हुआ है। आज आप उसका बहुत हद तक परिणाम देख सकते हैं। आज जब आप सड़कों पर घूमते हैं खासकर, पटना की सड़कों पर तो आप को अधिकतर महिला पुलिस दिखती है, विभिन्न सेवाओं में भी 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है जिसके कारण सेवाओं में महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है।

मगध प्रमंडल के आयुक्त श्री मयंक वरवड़े ने बताया कि घरेलू हिंसा कहां से शुरू होती है और घरेलू हिंसा का क्या दायरा है। घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक कुरीतियां अभी भी हो रही हैं, हालांकि उसकी दर काफी हद तक कम हुई है। इसको खत्म करने के लिए प्रशासन पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। आर्थिक रूप से जब महिलाएं और किशोरियां सशक्त होंगी तो घरेलू हिंसा अपने आप कम हो जाएगी। गया के जिला पदाधिकारी श्री त्यागराजन एम. एस. ने कहा कि जब भी बाल विवाह से सम्बंधित खबर प्राप्त होती है तो हम उसपर एक्शन लेते हैं। कन्या भ्रूण हत्या कानून को भी सरकार सख्ती से इंप्लीमेंट करा रही है। लड़कियों के साथ अब भी भेदभाव है– जैसे पौष्टिक आहार ना देना, उनका बाल विवाह कराया जाना, उनको पढ़ाई ना करने देना, उनको आर्थिक सहायता ना देना इत्यादि। समाज सुधार अभियान के तहत हमें इसको दूर करना है। गया की पुलिस अधीक्षक सुश्री हरप्रीत कौर ने कहा कि महिलाओं के बारे में काफी कानून बने हैं पर सबसे जरूरी है आपको उसकी जानकारी होना। कई बार महिलाओं को पता नहीं होता है उन्हें शिकायत क्या करनी है और कहां करनी है। काननों के बारे में जागरूक होना आपके लिए जरूरी है। कई बार महिलाएं आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होने के कारण भी घरेलू हिंसा को झेलती हैं। इनके बारे में हमें स्कूल–कॉलेज में भी इस प्रकार के कार्यक्रम करने की जरूरत है।

कार्यक्रम के तकनीकी सत्र के दौरान टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंस की सुश्री अनुप्रिया ने घरेलू हिंसा कानून पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। साथ ही उन्होंने घरेलू हिंसा के ऐसे उदाहरण भी दिए जिसे आमतौर पर लोग घरेलू हिंसा का मामला मानते ही नहीं हैं। सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज (सी3) की ओर से अनामिका और गुंजन बिहारी ने जेंडर और सेक्स में अंतर के बार में बताया। कार्यक्रम में प्रमंडल के विभिन्न जिलों से लगभग 250 जीविका दीदीयों ने भाग लिया।

महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा जेंडर बजटिंग पर राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन

समाज सुधार और जनजागृति के लिए सरकार प्रतिबद्ध

पटना में महिला एवं बाल विकास निगम, द्वारा जेंडर बजटिंग पर राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जेंडर बजटिंग पर राज्यस्तरीय कार्यशाला समाज कल्याण विभाग, के लिए आयोजन किया गया जिसमें विभाग के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला के आयोजन सी3 के तत्वावधान में किया गया। कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि समाज कल्याण विभाग के माननीय मंत्री श्री मदन सहनी के द्वारा महिला एवं बाल विकास निगम की अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्रीमती हरजोत कौर बम्हरा एवं समाज कल्याण विभाग के सचिव श्री प्रेम सिंह मीणा की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाज कल्याण विभाग के माननीय मंत्री श्री मदन सहनी ने कहा कि बिहार सरकार शुरुआत से ही किशोरियों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लड़कियों के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की थी तब इसका ज्यादा महत्व पता नहीं चल पाया था लेकिन अब इसका बदलाव दिख रहा है। जो बेटी घर से निकलती नहीं थी, अब निकल रही है यह बदलाव हुआ है। बिहार पुलिस में बहुत बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी का होना इसी मुहिम का परिणाम है, जो अन्य राज्यों में आजतक नहीं हुआ है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दहेज प्रथा और बाल विवाह के प्रति जन जागरूकता लाने का काम किया है इसका परिणाम बहुत अच्छा मिला है। दहेज लेने वाले परिवारों से लड़कियां स्वयं ही शादी करने से इंकार कर देती हैं जो महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदहारण है। माननीय मुख्यमंत्री जी का शराबबंदी कार्यक्रम राज्य में महिलाओं के प्रति हिंसा घटाने में काफी मददगार साबित हुआ है। इन सरे कार्यक्रमों को लागू करने में जीविका दीदीयों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

निगम की अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्रीमती हरजोत कौर बम्हरा ने कहा कि जेंडर का मतलब सिर्फ महिलाएं नहीं हैं, इसमें महिलाएं, पुरुष और ट्रांसजेंडर सभी आते हैं। महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए सरकारें सब तरफ के प्रयास में लगी हुई हैं। सरकार के पास जेंडर बजट एक टूल है। हमें संतुलन बनाना होता है कि आर्थिक उन्नति और सामाजिक विकास दोनों साथ–साथ कैसे चलें और उसी के लिए जेंडर बजट बनाया जाता है ताकि हम लोग दोनों लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।

समाज कल्याण विभाग के सचिव श्री प्रेम सिंह मीणा ने कहा कि पुरुष और महिला एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर बैलेंस नहीं होगा तो एक विकसित समाज के निर्माण में हम लोग सफल नहीं होंगे। 2005 से अभी तक 17 वर्षों में जो ट्रांसफार्मेशन हुआ है, वह अपने आप में काबिले तारीफ है। जेंडर बजटिंग के लिए सभी विभागों को मिला कर बिहार सरकार 36,000 करोड़ की राशि सालाना आवंटित करती है। नोडल विभाग के रूप में वित्त विभाग संकलन का कार्य करता है लेकिन इसमें अग्रणी भूमिका हम लोगों को निभानी होगी। अगर हम रियल टाइम डाटा का विश्लेषण कर लें, तो भविष्य में नीति बनाने में बहुत मुश्किल नहीं होगी।

निगम के कार्यपालक निदेशक ने कार्यक्रम के दौरान अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि आज की इस कार्यशाला का उद्देश्य राज्य और जिला स्तर के पदाधिकारियों को जेंडर बजट की अवधारणा, उसकी व्यवस्था पर उनका उन्मुखीकरण करना, इसका बेहतर क्रियानवयन सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के तकनीकी सत्र में बजट एनालिसिस एंड रिसर्च सेंटर ट्रस्ट के निदेशक डॉ निसार अहमद ने कहा कि भारत सरकार 2005 से जेंडर बजट कर रही है, वहीं बिहार में यह 2008 में शुरु हुआ है। 2022–23 में बिहार के कुल बजट का 15 प्रतिशत जेंडर बजट के लिए एलोकेट किया गया है, जो बिहार के कुल जीडीपी का 5 फीसदी है।

सचिवालय में बना मॉडल पालनाघर

मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी ने किया मॉडल क्रेच का उद्घाटन

बिहार सरकार ने सचिवालय के विकास भवन में कार्यरत महिलाकर्मियों और पदाधिकारियों के छोटे बच्चों की समुचित देखभाल और उनकी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए मॉडल पालनाघर (क्रेच) की शुरुआत की है। 20 जुलाई, 2022 को बिहार के मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी ने इस क्रेच का उद्घाटन महिला एवं बाल विकास निगम की अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्रीमती हरजोत कौर बम्हरा की उपस्थिति में किया। महिला और बाल विकास निगम के द्वारा इसकी स्थापना और इसके संचालन के लिए लिए कर्मी उपलब्ध करवाए गए हैं।

मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी ने कहा कि बिहार सरकार जीवन के सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और इसके लिए सरकार के द्वारा कई कदम उठाए गए हैं ताकि महिलाओं को किसी भी प्रकार से लैंगिक भेदभाव अथवा नुकसान का सामना न करना पड़े। अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ क़दमों में से एक क्रेच खोलना है। पालनाघर की स्थापना एवं संचालन से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित देखभाल उपलब्ध कराया जा सकेगा, साथ ही कामकाजी माताएं भी कार्य अवधि के दौरान बच्चों की देखभाल की चिंता से मुक्त रहेंगी। महिला एवं बाल विकास निगम की अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्रीमती हरजोत कौर बम्हरा ने कहा कि वर्तमान में महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा दो पालनाघर समाज कल्याण विभाग एवं कारा विभाग में चलाए जा रहे हैं, जहाँ यह पूर्ण क्षमता में चल रहा है। क्रेच को खोल कर महिलाकर्मियों की मांगों को पूरा किया गया है। पालनाघर में 05 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध होता है। विभिन्न रिसर्च के अनुसार, 7 वर्ष की उम्र तक बच्चे का दिमाग पूरी तरह विकसित हो जाता है। इसे ध्यान में रख कर इन मॉडल पालनाघरों में बच्चों को खेलों, चित्रों के माध्यम से सिखाने एवं विभिन्न प्रकार के खेल और खिलौनों की सुविधा मुहैया करवाई गई है, जिससे उनका व्यक्तित्व निर्माण होने के साथ ही उनमें सीखने की क्षमता भी विकसित होती है। सभी राज्य सरकार के विभागों और संगठनों को, जिनके पास 25 से अधिक महिला कर्मचारी हैं, उन्हें अपने कार्यालय में एक क्रेच खोलने के लिए पत्र लिखा जाना चाहिए। मॉडल पालनाघरों को देखते हुए महिला एवं बाल विकास निगम को कई विभागों, कार्यालयों से पालनाघर की स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। अगले 6 माह में निगम का लक्ष्य 50 पालनाघरों की स्थापना करवाने का है।

सामान्य और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए "सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि" योजना में आये कुल 34 आवेदन

बिहार सरकार की मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत "सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना" में वर्ष 2022 में कुल 34 महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार उन उम्मीदवारों को आर्थिक सहायता दे रही है, जो केंद्र लोक सेवा आयोग यूपीएससी, 2022 की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हैं। महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा संचालित इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की तिथि 31 जुलाई तक थी।

इस बार के आये 34 आवेदनों में से 26 महिला अभ्यर्थियों के आवेदन पूर्ण रूप से सही हैं। प्राप्त 34 आवेदनों में से 10 आवेदन पिछड़े वर्ग से हैं जबकि शेष सामान्य श्रेणी से हैं। महिला एवं बाल विकास की अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्रीमती हरजोत कौर बम्हरा ने कहा कि इस योजना में सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग की उन महिलाओं को 1,00,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी जिन्होंने यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास की है। यह पैसा उम्मीदवार को एकमुश्त दिया जाएगा ताकि उसे मुख्य परीक्षा की तैयारी में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। यह राशि उन महिला अभ्यर्थियों को ही मिलेगी जिनको राज्य सरकार के अन्य विभागों यथा अत्यंत पिछड़ा एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत कोई आर्थिक सहयोग या अनुदान पूर्व में नहीं मिला हो। विदित हो कि पिछले साल 22 अभ्यर्थियों को यह प्रोत्साहन राशि मिली थी जिसमें से 5 लाभार्थी संघ लोक सेवा आयोग से पूर्ण रूप से चयनित हुई थीं जिसमें से एक रैंक ऑल इंडिया 16 था।

महिला उद्यमियों के लिए मंच उपलब्ध करवाने हेतु निगम की पहल– "उड़ान आर्ट एवं क्राफ्ट शॉप" आरंभ

पटना के डाकबंगला चौराहा स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण भवन में महिला एवं बाल विकास निगम की दुकान "उड़ान" का उद्घाटन निगम की अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक एवं अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा फीता काट कर किया गया। इस दुकान के माध्यम से बिहार की ग्रामीण परिवेश की महिला उद्यमियों द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प, हैंडलूम, खाद्य पदार्थ आर्ट, क्राफ्ट, मधुबनी पेंटिंग, टिकुली आर्ट एवं साज–सज्जा आदि सामग्रियों के लिए एक मंच उपलब्ध होगा। इस आउटलेट का उद्देश्य महिला उद्यमियों/शिल्पियों द्वारा उत्पादित/निर्मित सामग्रियों के लिए न केवल एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराना है बल्कि उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए भी कार्य करना है।

निगम की अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक ने कहा कि निगम के द्वारा 2003 में यह दुकान शुरू की गई थी लेकिन पिछले लगभग 18 सालों से यह बंद थी। इसका पुनर्निर्माण किया गया है जिसके फलस्वरूप आज इस दुकान का शुभारम्भ किया जा रहा है। इस दुकान का संचालन बिहार महिला उद्योग संघ के द्वारा दिया जायेगा। गुणवत्ता पर विशेष ध्यान

देते हुए यहाँ यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सही मूल्य पर बिहार के विविध प्रकार के कला और शिल्प के उत्पाद लोगों के लिए सुलभ हो सकें। ऐसी एक दुकान हर जिले में होनी चाहिए ताकि स्थानीय स्तर की महिला उद्यमियों के उत्पाद के सही मूल्य मिल सकें। इस दौरान बिहार महिला उद्योग संघ की श्रीमती उषा झा, परियोजना निदेशक, अजय कुमार श्रीवास्तव, निदेशक श्री राजीव वर्मा, प्रशासी पदाधिकारी सुश्री पूनम कुमारी सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

बिहार सरकार

महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार
समाज कल्याण विभाग

आगे बढ़ रही है बेटियां

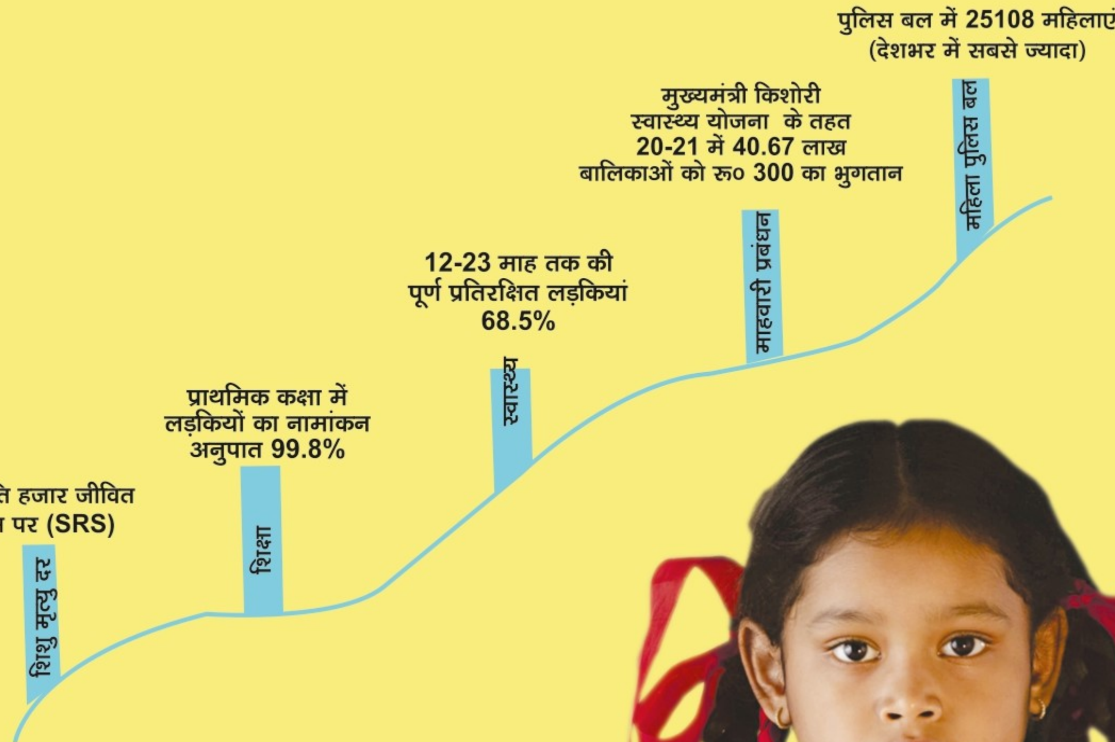

विकासशील बिहार

महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार द्वारा जनहित में जारी

2, दारोगा प्रसाद राय पथ, वीरचंद पटेल रोड,
पटना, बिहार 800028